रजिस्ट्री सं॰ डी॰ 221 REGISTERED NO. D.—221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03082021-228688
CG-DL-E-03082021-228688

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 2 — अनुभाग 1क
PART II — Section 1A
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 1] नई दिल्ली, गुरुवार, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक) [खंड LVII
No. 1] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 25, 2021/PHALGUNA 6, 1942 (SAKA) [VOL. LVII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2021/6 फाल्गुन, 1942 (शक)

दि कंपनी (अमेंडमेंट) ऐक्ट 2019; (2) दि ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) ऐक्ट, 2019; (3) दि चिट फंड्स (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2019; (4) दि प्रोहिबीशन आफ इलेक्ट्रानिक सिगरेट्स (प्रोडक्शन, मेनुफेक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्युशन, स्टोरेज एंड एडवरटाइजमेंट) ऐक्ट, 2019 (5) दि रिसाइकलिंग आफ शिप ऐक्ट, 2019; (6) दि इन्सोलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (7) दि मिनीरल लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (8) दि डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास ऐक्ट, 2020; (9) दि फारमर्स (इम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट आन प्राइस एसुरेन्स एंड फार्म सरवीसेस ऐक्ट, 2020; (10) दि फारमर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कामर्स (प्रोमोशन एंड फैसीलिटेशन) ऐक्ट, 2020; (11) दि एसेन्सियल कोमोडिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2020; (12) दि बाईलेटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंसियल कान्ट्रैक्ट्स ऐक्ट, 2020; और (13) दि फारेन कन्ट्रीब्यूसन (रेगुलेशन) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2020 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, February 25, 2021/Phalguna 6, 1942 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—The Company (Amendment) Act, 2019; (2) The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019; (3) The Chit Funds (Amendment) Act, 2019; (4) The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019; (5) The Recyciling of Ship Act, 2019; (6) The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020; (7) The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020; (8) The Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020; (9) The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance And Farm Services Act, 2020; (10) The Farmers Produce Trade And Commerce (Promotion And Facilitation) Act, 2020; (11) The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020; (12) The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020 and (13) The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause *(a)* of sub-section *(1)* of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

पृष्ठ

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 22) 3
The Company (Amendment) Act, 2019

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 40) 15
The Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019

चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 41) 23
The Chit Funds (Amendment) Act, 2019

इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण आयात निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण भंडारण और विज्ञापन प्रतिषेध अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 42) 27
The Prohibition of Electronic, Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport Sale, Distribution, Storage and Advertisement) Act, 2019

पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का अधिनियम संख्यांक 49) 33
The Recycling of Ships Act, 2019

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) 49
The Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Act, 2020

खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 2) 55
The Mineral Laws (Amendment) Act, 2020

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 3) 61
The Direct Tax Vivad Se Vishwas Act, 2020

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 20) 69
The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Act, 2020

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 21) 77
The Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 22) 85
The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 30) 87
The Bilateral Netting of Qualified Financial Contracts Act, 2020

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्यांक 33) 97
The Foreign Contribution (Regulation) Amendment Act, 2020

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 22)

[31 जुलाई, 2019]

कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) इस अधिनियम के उपबंध, धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii), खंड (iv), धारा 20 और धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के सिवाय, 2 नवम्बर, 2018 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

(3) धारा 6, धारा 7 और धारा 8, धारा 14 के खंड (i), खंड (iii), खंड (iv), धारा 20 और धारा 21, धारा 31, धारा 33, धारा 34 और धारा 35, धारा 37 और धारा 38 के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इन उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।

धारा 2 का संशोधन। **2**. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (41) में,— 2013 का 18

(क) पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु जहां कोई कंपनी या निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित कंपनी की नियंत्री कंपनी या समनुषंगी कंपनी या सहयुक्त कंपनी है और उससे भारत से बाहर अपने लेखाओं के समेकन के लिए भिन्न-भिन्न वित्तीय वर्ष का अनुसरण करने की अपेक्षा की जाती है, वहां केन्द्रीय सरकार, उस कंपनी या निगमित निकाय द्वारा, किए गए ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किया जाए, आवेदन पर, किसी भी अवधि को अपने वित्तीय वर्ष के रूप में, चाहे वह अवधि एक वर्ष की है या नहीं, अनुज्ञात कर सकेगी:

परंतु यह और कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का अधिकरण द्वारा ऐसे प्रारंभ से पूर्व उसे लागू उपबंधों के अनुसार निपटान किया जाएगा।'';

(ख) दूसरे परंतु में ''परंतुक यह और कि'' शब्दों के स्थान पर, ''परंतु यह भी कि'' शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 10क का अंत:स्थापन। **3**. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

कारबार, आदि का प्रारंभ। ''10क. (1) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ के पश्चात् निगमित कोई कंपनी और जिसके पास शेयर पूंजी है, तब तक कोई कारबार आरंभ नहीं करेगी या तब तक किन्हीं उधार लेने की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी, जब तक,—

(क) किसी निदेशक द्वारा रजिस्ट्रार के पास कंपनी के निगमन की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप में घोषणा फाइल नहीं कर दी जाती है या ऐसे रीति में, जो विहित की जाए, उसका सत्यापन नहीं कर दिया जाता है कि ज्ञापन के प्रत्येक अभिदाता ने ऐसी घोषणा करने की तारीख को उसके द्वारा लिए जाने के लिए करार पाए गए शेयरों के मूल्य का संदाय कर दिया है; और

(ख) कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार के पास धारा 12 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का सत्यापन फाइल नहीं कर दिया जाता है।

(2) यदि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी पचास हजार रुपए की शास्ति की दायी होगी और ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए की शास्ति, किन्तु जो एक लाख रुपए की रकम से अधिक की नहीं होगी, का दायी होगा।

(3) जहां कंपनी के निगमन की तारीख के एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन रजिस्ट्रार के पास कोई घोषणा फाइल नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास कोई घोषणा फाइल नहीं की गई है और रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है वहां, उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 18 के अधीन कंपनी के रजिस्टर से कंपनी का नाम हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।''।

धारा 12 का संशोधन। **4**. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(9) यदि रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि कंपनी कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है तो वह ऐसी रीति में जो विहित की जाए कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वास्तविक सत्यापन करा सकेगा और यदि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम पाया जाता है तो वह उपधारा (8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 18 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाए जाने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में, दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि किसी पब्लिक कंपनी का किसी प्राइवेट कंपनी में संपरिवर्तन का प्रभाव रखने वाला कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नहीं होगा, जब तक केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, इसे किए गए आवेदन पर अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है:

परंतु यह भी कि कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ की तारीख को अधिकरण के समक्ष लंबित किसी आवेदन का निपटान, ऐसे प्रारंभ से पूर्व इसको लागू उपबंधों के अनुसार अधिकरण द्वारा किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (2) में, ''अधिकरण'' शब्द के स्थान पर, ''केन्द्रीय सरकार'' शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल अधिनियम की धारा 26 में,— धारा 26 का संशोधन।

(i) उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) में, ''रजिस्ट्रीकरण'' शब्द के स्थान पर, ''फाइल करने'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा।

7. मूल अधिनियम की धारा 29 में,— धारा 29 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, ''पब्लिक'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) ऐसे वर्ग या वर्गों की असूचीबद्ध कंपनियां, जो विहित की जाएं, के मामले में, प्रतिभूतियां, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और तद्धीन बनाए गए विनियमों में अधिकथित रीति में अभौतिक रूप में ही धारित या अंतरित की जाएंगी।''। (1996 का 22)

8. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (ग) में, ''रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस की प्रति परिदत करने'' शब्दों के स्थान पर, ''रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस की प्रति फाइल करने'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 35 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 53 का संशोधन।

''(3) जहां कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगी, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो बट्टे पर शेयरों के निर्गमन के माध्यम से जुटाई गई रकम के समतुल्य रकम या पाँच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, तक की हो सकेगी और कंपनी का ऐसे शेयरों के निर्गमन की तारीख से बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सहित प्राप्त सभी धनराशियों का उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे शेयर निर्गमित किए गए है, प्रतिदाय करने की भी दायी होगी।''।

10. मूल अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, अर्थात्:— धारा 64 का संशोधन।

''(2) जहां कोई कंपनी उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहेगी, वहां ऐसी कंपनी और प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजाए रुपए या पाँच लाख रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा।''।

11. मूल अधिनियम की धारा 77 की उपधारा (1) के पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:— धारा 77 का संशोधन।

''परंतु रजिस्ट्रार, किसी कंपनी द्वारा आवेदन किए जाने पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को—

(क) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने से पूर्व सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन की तीन सौ दिन की अवधि के भीतर; या

(ख) कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने पर या उसके पश्चात् सृजित प्रभारों की दशा में, ऐसे सृजन के साठ दिन की अवधि के भीतर,

ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि यदि रजिस्ट्रीकरण विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है तो—

(क) पहले परंतुक के खंड (क) में, प्रभार का रजिस्ट्रीकरण, कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसी अतिरिक्त फीस का, जो विहित की जाए, संदाय करने पर किया जाएगा और कंपनियों के विभिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न फीसें विहित की जा सकेंगी;

(ख) पहले परंतुक के खंड (ख) में, रजिस्ट्रार, किसी आवेदन पर, ऐसे रजिस्ट्रीकरण को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर ऐसी मूल्यानुसार फीसें, जो विहित की जाएं, का संदाय करने के पश्चात् अनुज्ञात कर सकेगा।''।

धारा 86 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 86 का उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(2) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर धारा 177 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मिथ्या या गलत सूचना देगा या जानते हुए किसी तात्त्विक सूचना को छिपाता है तो वह धारा 447 के अधीन कार्रवाई किए जाने का दायी होगा।''।

धारा 87 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

13. मूल अधिनियम की धारा 87 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रभार रजिस्टर का परिशोधन।

''87. केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि—

(क) इस अध्याय के अधीन अपेक्षित समय के भीतर रजिस्ट्रार को किसी प्रभार को संदाय या चुकाने की सूचना देने में चूक; या

(ख) किसी ऐसे प्रभार या उसके उपांतरण या भुगतान के किसी ज्ञापन या धारा 82 या धारा 83 के अनुसरण में की गई अन्य प्रविष्टि के संबंध में, रजिस्ट्रार को पहले की गई किन्हीं विशिष्टियों को फाइल करने का लोप या मिथ्या कथन,

आकस्मिक था या अनवधानता या किसी अन्य पर्याप्त हेतुक के कारण था यह ऐसी कंपनी के लेनदारों या शेयर धारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रकृति का नहीं है, इसे कंपनी द्वारा या किसी हितबद्ध अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह न्यायसंगत, न्यायोचित और समीचीन समझे, यह निदेश दे सकेगी कि संदाय या भुगतान की ऐसी सूचना के दिए जाने के लिए समय का विस्तार किया जाएगा या जैसी मामले में अपेक्षित हो, ऐसे लोप या मिथ्या कथन का सुधार किया जाएगा।''।

धारा 90 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 90 में,—

(i) उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4क) प्रत्येक कंपनी, ऐसे व्यक्ति की पहचान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो कंपनी के संबंध में एक महत्वपूर्ण हितकारी स्वामी है और उससे यह अपेक्षा होगी कि वह इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करे'';

(ii) उपधारा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(9) अधिकरण के आदेश से व्यवथित कंपनी या व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उपधारा (8) के अधीन निर्बंधनों के शिथिलीकरण या उन्हें हटाए जाने के लिए अधिकरण को आवेदन कर सकेगी या कर सकेगा:

परंतु यदि ऐसा कोई आवेदन उपधारा (8) के अधीन आदेश की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर फाइल नहीं किया गया है तो ऐसे शेयर, किसी निर्बंधन के बिना धारा 125 की उपधारा (5) के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, गठित प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे।'';

(iii) इस प्रकार प्रतिस्थापित उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(9क) केन्द्रीय सरकार इस धारा के प्रयोजनों के लिए नियम बना सकेगी।'';

(iv) उपधारा (11) में, ''फाइल करने की अपेक्षा है'' शब्दों के पश्चात्, ''या उपधारा (4क) के अधीन आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा है'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

15. मूल अधिनियम की धारा 92 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 92 का संशोधन।

''(5) यदि कोई कंपनी उपधारा (4) के अधीन अपनी वार्षिक विवरणी, उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व, फाइल करने में असमर्थ रहेगी तो ऐसी कंपनी और उसका प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली ऐसी असफलता की दशा में, ऐसे पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान, ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पाँच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।''।

16. मूल अधिनियम की धारा 102 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 102 का संशोधन।

''(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि, इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम किया गया है तो कंपनी का प्रत्येक संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रमी हैं, पचास हजार रुपए की या संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उसके नातेदारों में से किसी भी नातेदार को प्रोद्भूत फायदे की रकम का पाँच गुणा, इनमें से जो भी अधिक हो, की शास्ति का दायी होगा।''।

17. मूल अधिनियम की धारा 105 की उपधारा (3) में, ''ऐसे जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''पाँच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 105 का संशोधन।

18. मूल अधिनियम की धारा 117 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 117 का संशोधन।

''(2) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व संकल्प या करार फाइल करने में असफल रहेगी तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पच्चीस लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पाँच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जिसके अंतर्गत कंपनी का परिसमापक, यदि कोई हो, भी हो, जो व्यतिक्रमी है, पचास हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पाँच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पाँच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।''।

19. मूल अधिनियम की धारा 121 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 121 का संशोधन।

''(3) यदि कंपनी उपधारा (2) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व रिपोर्ट फाइल करने में असमर्थ रहेगी तो ऐसी कंपनी एक लाख रुपए की शास्ति की और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती हे, अधिकतम पाँच लाख रुपए के अधीन रहते हुए, पाँच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी

होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए पाँच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।''।

धारा 132 का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 132 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''(1क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण ऐसे प्रभागों के माध्यम से अपने ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।'';

(ख) उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(3क) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के प्रत्येक प्रभाग की अध्यक्षता अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत पूर्णकालिक सदस्य द्वारा की जाएगी।

(3ख) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का एक कार्यकारी निकाय होगा जो उपधारा (2) [खंड (क) से भिन्न] और उपधारा (4) के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए ऐसे प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों से मिलकर बनेगा।''।

(ग) उपधारा (4) के खंड (ग) में, उपखंड (आ) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(आ) सदस्य या फर्म को छह मास की न्यूनतम अवधि या दस वर्ष से अनधिक ऐसी उच्चतर अवधि के लिए, जो राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए,—

I. किसी कंपनी या कॉरपोरेट निकाय के कृत्यों और क्रियाकलापों के वित्तीय विवरण या आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में संपरीक्षक या आंतरिक संपरीक्षक के रूप में नियुक्त होने या कोई संपरीक्षा करने; या

II. धारा 247 के अधीन यथा उपबंधित कोई मूल्यांकन करने से विवर्जित करने की शास्ति होगी।''।

धारा 135 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 135 में,—

(क) उपधारा (5) में,—

(i) ''ठीक तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान'' शब्दों के पश्चात्, ''या जहां कंपनी ने ऐसे ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान अपने निगमन के समय से तीन वित्तीय वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक के अंत में आने वाले ''रकम खर्च न करने के कारणों को विनिर्दिष्ट करेगा'' शब्दों के पश्चात्, ''और, जब तक अव्ययित रकम का उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी चालू परियोजना से संबंध नहीं है, तब तक ऐसी अव्ययित रकम को अनुसूची 7 में निर्दिष्ट निधि में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह मास की अवधि के भीतर अंतरित नहीं करेगा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(6) कंपनी द्वारा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, को पूरा करते हुए, कंपनी द्वारा उसकी निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के अनुसरण में किसी चालू परियोजना की ली गई जिम्मेदारी के अनुसरण में, उपधारा (5) के अधीन शेष अव्ययित कोई रकम कंपनी द्वारा, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर कंपनी द्वारा किसी अनुसूचित बैंक में खोले जाने वाले अव्ययित, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व खाता नामक और विशेष खाते में उस वित्तीय वर्ष के लिए इस निमित अंतरित की जाएगी और कंपनी द्वारा ऐसी रकम का ऐसे अंतरण की तारीख से तीन

वित्तीय वर्ष की अवधि के भीतर निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के मद्दे उसकी बाध्यता के अनुसरण में व्यय किया जाएगा जिसके न हो सकने पर कंपनी उसे तीसरे वित्तीय के पूरे होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुसूची 7 में विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित करेगी।

(7) यदि कोई कंपनी उपधारा (5) या उपधारा (6) के उपबंधों का उल्लंघन करेगी, कंपनी ऐसे जुर्माने से जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी कंपनी, का ऐसा प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी हे, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पाँच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

(8) केन्द्रीय सरकार, किसी कंपनी या कंपनियों के वर्ग को ऐसे साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी जो वह इस धारा के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे और ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग ऐसे निदेशों का पालन करेगा।''।

22. मूल अधिनियम की धारा 137 की उपधारा (3) में,— धारा 137 का संशोधन।

(क) ''जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''शास्ति से, जो एक लाख रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी या दोनों के लिए दायी होंगे'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) ''ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होंगे'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए की शास्ति और असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे'' शब्द रखे जाएंगे।

23. मूल अधिनियम की धारा 140 में, उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 140 का संशोधन।

''(3) यदि संपरीक्षक उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं करेगा तो वह पचास हजार रुपए या संपरीक्षक के पारिश्रमिक के बराबर रकम, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति का दायी होगा और ऐसी असफलता के जारी रहने की दशा में, पहले दिन के पश्चात्, प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम पांच लाख रुपए के अधीन रहते हुए पांच सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।''।

24. मूल अधिनियम की धारा 157 में, उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 157 का संशोधन।

''(2) यदि कोई कंपनी, उपधारा (1) के अधीन निदेशक पहचान संख्या देने में असफल रहेगी तो ऐसी कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति की ओर जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए, एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है, ऐसी शास्ति का जो पच्चीस हजार रुपए की शास्ति से कम की नहीं होगी और जारी रहने वाली असफलता की दशा में, पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, अधिकतम एक लाख रुपए के अधीन रहते हुए एक सौ रुपए की अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा।''।

25. मूल अधिनियम की धारा 159 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 159 के स्थान पर, नई धारा का प्रतिस्थापन।

''159. यदि कंपनी का कोई व्यक्ति या निदेशक धारा 152, धारा 155 और धारा 156 के उपबंधों में से किसी उपबंध का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगा तो कंपनी का ऐसा व्यक्ति या निदेशक कतिपय उपबंधों के व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति।

ऐसी शास्ति का दायी होगा जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी और जहां व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, वहां ऐसी अतिरिक्त शास्ति का दायी होगा जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, पांच सौ रुपए तक की हो सकेगी।''।

धारा 164 का संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (1) में खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(झ) उसने धारा 165 की उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है।''।

धारा 165 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 165 की उपधारा (6) में, ''ऐसे जुर्माने से, शब्दों से आरम्भ होने वाले और ''जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहेगा, पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा'', शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, ''पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए की शास्ति का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 191 का संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 191 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(5) यदि कंपनी को कोई निदेशक इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगा तो ऐसा निदेशक एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा।''।

धारा 197 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 197 में,—

(क) उपधारा (7) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपधारा (15) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(15) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करेगा तो वह एक लाख रुपए की शास्ति का दायी होगा और जहां कोई व्यतिक्रम कंपनी द्वारा किया गया है, वहां कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी''।

धारा 203 का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 203 में, उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(5) यदि कोई कंपनी इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में कोई व्यतिक्रम करेगा तो ऐसी कंपनी पांच लाख रुपए की शास्ति की दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक निदेशक तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, जो व्यतिक्रम करते हैं, पचास हजार रुपए की शास्ति के दायी होंगे और जहां व्यतिक्रम जारी रहने वाला है, वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा व्यतिक्रम जारी रहता है, एक हजार रुपए, किन्तु पांच लाख रुपए से अनधिक की अतिरिक्त शास्ति के दायी होंगे।''।

धारा 212 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 212 में,—

(क) उपधारा (8) में, ''यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का निदेशक, अपर निदेशक या सहायक निदेशक'' शब्दों के स्थान पर, ''यदि साधारण या विशेष आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय का कोई ऐसा अधिकारी, जो सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (9) में, ''उपधारा (8) के अधीन'' से आरम्भ होने वाले और ''में अग्रेषित करेंगे'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, ''उपधारा (8) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी उपधारा के अधीन ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के ठीक पश्चात् उस उपधारा में निर्दिष्ट अपने कब्जे की सामग्री के साथ आदेश की एक प्रति गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को मुहरबन्द लिफाफे में ऐसी रीति में अग्रेषित करेगा'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (10) में,—

(i) ''न्यायिक मजिस्ट्रेट'' शब्दों के स्थान पर, ''विशेष न्यायालय या न्यायिक मजिस्ट्रेट'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''परंतुक में, ''मजिस्ट्रेट का न्यायालय'' शब्दों के स्थान पर, ''विशेष न्यायालय या मजिस्ट्रेट का न्यायालय'' शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपधारा (14) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(14क) जहां उपधारा (11) या उपधारा (12) के अधीन रिपोर्ट में यह कथन किया जाता है कि कंपनी में कपट किया गया है और ऐसे कपट के कारण कंपनी का कोई निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति या अस्तित्व ने अनुचित लाभ या फायदा, चाहे वह किसी आस्ति, संपत्ति या नकदी के रूप में हो या किसी अन्य रीति में हो, लिया है, वहां केन्द्रीय सरकार ऐसी आस्ति, संपत्ति या नकदी की वसूली के सम्बन्ध में समुचित आदेशों के लिए और ऐसे निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, अन्य अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को दायित्व की किसी परिसीमा के बिना व्यक्तिगत रूप से दायी ठहराने के लिए अधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगी।''।

मूल अधिनियम की धारा 238 का संशोधन।

32. मूल अधिनियम की धारा 238 की उपधारा (3) में, ''जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए की शस्ति का दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 241 का संशोधन।

33. मूल अधिनियम की धारा 241 में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु ऐसी कंपनी या कंपनियों का वर्ग, जो विहित किया जाए, के सम्बन्ध में, इस उपधारा के अधीन आवेदन अधिकरण की प्रधान न्यायपीठ के समक्ष किए जाएंगे जिन पर ऐसे न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जाएगी;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अन्त:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(3) जहां केन्द्रीय सरकार की राय में निम्नलिखित का सुझाव देने वाली परिस्थितियां विद्यमान हैं कि—

(क) किसी कंपनी के क्रियाकलापों के संचालन और प्रबंध से सम्बद्ध कोई व्यक्ति विधि के अधीन अपनी बाध्यताओं या कृत्यों को करने में कपट, अपकरण, निरंतर उपेक्षा या व्यतिक्रम या न्यायभंग का दोषी है या उसके सम्बन्ध में दोषी रहा है;

(ख) कंपनी का कारबार, ठोस कारबार सिद्धांतों या विवेकपूर्ण वाणिज्यिक पद्धतियों के अनुसार, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसे संचालित या उसका प्रबंध नहीं किया जाता है या नहीं किया गया है;

(ग) कंपनी का संचालन और प्रबंधन किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में, जिससे ऐसे व्यापार, उद्योग या कारबार, जिसके साथ ऐसी कंपनी का सम्बन्ध है, के हित को गंभीर क्षति या नुकसान कारित होने की संभावना है या क्षति या नुकसान कारित किया गया है;

(घ) कंपनी का कारबार ऐसे व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले रीति में उसके लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ धोखा करने के आशय से संचालित और उसका प्रबंध किया जाता है या किया गया है,

वहां केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई मामला आरम्भ कर सकेगी और उसे इस अनुरोध के साथ अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी कि अधिकरण मामले की जांच करे और इस बारे में

अपना विनिश्चय अभिलिखित करे कि ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी के संचालन और प्रबंधन से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए योग्य और उचित व्यक्ति है।

(4) वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन अधिकरण को कोई मामला निर्दिष्ट किया गया है, आवेदन के प्रत्यर्थी के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक आवेदन में,—

(क) ऐसी परिस्थितियों और विषय-वस्तुओं का संक्षिप्त विवरण अंतर्विष्ट होगा जो केन्दीय सरकार जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी वाद में वादपत्र के हस्ताक्षर और सत्यापन के लिए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में अधिकथित रीति में हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।''। 1908 का 5

धारा 242 का संशोधन।

34. मूल अधिनियम की धारा 242 में, उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अन्त:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(4क) धारा 241 की उपधारा (3) के संबंध में केस की सुनवाई की समाप्ति पर, अधिकरण उसमें विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन करते हुए इस बारे में अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा कि क्या प्रत्यर्थी की कंपनी के संचालन और प्रबंध से सम्बन्धित निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति है या नहीं।''।

धारा 243 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 243 में,—

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(1क) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 242 की उपधारा (4क) के अनुसरण में, उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं है, उक्त विनिश्चय की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंध से सम्बद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद को धारण नहीं करेगा:

परंतु केन्द्रीय सरकार, अधिकरण की अनुमति से, ऐसे व्यक्ति को पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी ऐसे पद को धारण करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

(1ख) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी संविदा, ज्ञापन या अनुच्छेदों के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी के कार्यकलापों के संचालन और प्रबंध से संबद्ध निदेशक के पद या किसी अन्य पद से किसी व्यक्ति के हटाए जाने पर, वह व्यक्ति हानि या पद के पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा या उसे कोई प्रतिकर संदत्त नहीं किया जाएगा।'';

(ख) उपधारा (2) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, ''या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 248 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (1) में,—

(क) खंड (ग) में, ''धारा 455'' शब्द और अंकों के स्थान पर, ''धारा 455; या'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ग) के पश्चात् और दीर्घ पंक्ति से पहले, निम्नलिखित खंड अन्त:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(घ) ज्ञापन के अभिदाताओं ने ऐसे अभिदाय का संदाय नहीं किया है जिनका उन्होंने कंपनी के निमगन के समय संदाय करने का वचन दिया था और धारा 10क की उपधारा (1) के अधीन इसके निगमन के एक सौ अस्सी दिन के भीतर इस आशय की एक घोषणा फाइल नहीं की गई है; या

(ङ) ऐसी कंपनी, धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन किए गए वास्तविक सत्यापन के पश्चात् यथा उल्लिखित कोई कारबार या संक्रियाएं नहीं कर रही है;''।

37. मूल अधिनियम की धारा 272 की उपधारा (3) में, ''उसके खंड (क) या खंड (ङ)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''उस धारा के खंड (क) या खंड (ङ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे। धारा 272 का संशोधन।

38. मूल अधिनियम की धारा 398 की उपधारा (1) के खंड (च) में, ''प्रोसपेक्टस'' शब्द का लोप किया जाएगा। धारा 398 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 441 में,— धारा 441 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) में, ''पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है'' शब्दों के स्थान पर, ''पच्चीस लाख रुपए से अधिक नहीं है'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1974 का 2 ''(6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई अपराध, जो इस अधिनियम के अधीन केवल कारावास से या कारावास और जुर्माने से भी दंडनीय है, शमनीय नहीं होगा।''।

40. मूल अधिनियम की धारा 446ख में, ''ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट जुर्माने से'', शब्दों से आरम्भ होने वाले और ''दंडनीय होगा'' शब्दों के साथ समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, ''ऐसी शास्ति का, जो ऐसी धाराओं में विनिर्दिष्ट शास्ति के आधे से अधिक नहीं होगी, दायी होगा'' शब्द रखे जाएंगे।''। धारा 446ख का संशोधन।

41. मूल अधिनियम की धारा 447 के दूसरे परंतुक में, ''पच्चीस लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''पचास लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 447 का संशोधन।

42. मूल अधिनियम की धारा 454 में,— धारा 454 का संशोधन।

(i) ''उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) न्यायनिर्णायक अधिकारी, आदेश द्वारा,—

(क) यथास्थिति, कंपनी ऐसे अधिकारी पर, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति पर इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन किसी अननुपालन या व्यतिक्रम का उसमें उल्लेख करते हुए, शास्ति अधिरोपित कर सकेगी; और

(ख) यथास्थिति, ऐसी कंपनी या अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति को, जब कभी वह ठीक समझे, व्यतिक्रम का सुधार करने के लिए निदेश दे सकेगा।'';

(ii) उपधारा (4) में ''ऐसी कंपनी और अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे कंपनी, ऐसे अधिकारी को, जो व्यतिक्रमी है या किसी अन्य व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (8) में,—

(क) खंड (1) में, ''जहां कंपनी, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय आदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर नहीं करती है'' शब्दों के स्थान पर, ''जहां कंपनी, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहती है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) में,—

(i) ''जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी'' शब्दों के स्थान पर, ''जहां किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''शास्ति का संदाय नहीं करता है'' शब्दों के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

नई धारा 454क का अन्त:स्थापन।

43. मूल अधिनियम की धारा 454 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पुनरावृत्त व्यक्तिक्रम के लिए शास्ति।

''454क. जहां किसी कंपनी या किसी कंपनी का कोई अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन व्यतिक्रम के लिए शास्ति का भागी है, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या प्रादेशिक निदेशक द्वारा पारित ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पुन: ऐसा व्यतिक्रम करता है, वहां वह ऐसे दूसरे या पश्चात्वर्ती व्यतिक्रमों के लिए इस अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन ऐसे व्यतिक्रम के लिए उपबंधित शास्ति की दोगुनी रकम के बराबर रकम का दायी होगा।''।

निरसन और व्यावृत्तियां।

44. (1) कंपनी (संशेधन) दूसरा अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है। 2019 का अध्यादेश सं॰ 6

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 40)

[5 दिसम्बर, 2019]

उभयलिंगी व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण और उनके कल्याण का उपबंध करने तथा उनसे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से,—

(i) केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन के संबंध में केद्रीय सरकार;

(ii) राज्य सरकार या उस सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतया या सारवान् रूप से वित्तपोषित किसी स्थापन कें सबंध में राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ख) ''स्थापना'' से,—

(i) किसी केंद्रीय अधिनियम या किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निकाय या प्राधिकरण या सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त कोई प्राधिकरण या निकाय या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 में यथापरिभाषित 2013 का 18 कोई सरकारी कंपनी और इसके अंतर्गत कोई सरकारी विभाग भी है; या

(ii) कोई कंपनी या निगमित निकाय या संगम या व्यष्टिकों का निकाय, फर्म, सहकारी या अन्य सोसाइटी, संगम, न्यास, अभिकरण, संस्था अभिप्रेत है;

(ग) ''कुटुंब'' से रक्त या विवाह या विधि के अनुसार किए गए दत्तक ग्रहण से नातेदार व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है;

(घ) ''समावेशी शिक्षा'' से शिक्षा की कोई प्रणाली अभिप्रेत है, जिसमें उभयलिंगी विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों के साथ विभेद, उपेक्षा, उत्पीड़न या अभित्रास के भय के बिना शिक्षा ग्रहण करते हैं और अध्यापन और शिक्षण की प्रणाली ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित रूप से अनुकूलित की गई है;

(ङ) ''संस्था'' से उभयलिंगी व्यक्तियों को स्वीकार करने, उनकी देखरेख संरक्षण करने, शिक्षा, प्रशिक्षण या किसी अन्य सेवा के लिए कोई संस्था, चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, अभिप्रेत है;

(च) ''स्थानीय प्राधिकरण'' से उसकी अपनी अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों के संबंध में यथास्थिति, नगरपालिक सेवाएं या मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित, नगर निगम या नगरपालिका या पंचायत या कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है;

(छ) ''राष्ट्रीय परिषद्'' से धारा 16 के अधीन स्थापित उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् अभिप्रेत है;

(ज) '' अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) ''अंत:लिंगी विभिन्नताओं वाले व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो जन्म के समय अपने या अपनी मूल लैंगिक विशेषताओं, बाह्य जननांग, गुण-सूत्रों या हार्मोन में पुरुष या स्त्री शरीर के आदर्शी मानक से विभिन्नता उपदर्शित करता है/करती है;

(ञ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत हैं; और

(ट) ''उभयलिंगी व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसका लिंग जन्म के समय उस व्यक्ति के नियत लिंग से मेल नहीं खाता है और इसके अंतर्गत उभय-पुरुष या उभय-स्त्री (चाहे ऐसे व्यक्ति ने लिंग पुन:निधारण शल्यक्रिया या हार्मोन चिकित्सा या लेजर चिकित्सा या ऐसी अन्य चिकित्सा करवाई हो या नहीं), अंत:लिंग विभिन्नताओं वाले व्यक्ति, लिंग-समलैंगिक और किन्नर, हिजड़ा, अरावाणी और जोगता जैसी सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति भी सम्मिलित हैं।

अध्याय 2

विभेद का प्रतिषेध

विभेद के विरुद्ध अबद्ध प्रतिषेध।

3. कोई व्यक्ति या स्थापन किसी उभयलिंगी व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित आधारों पर विभेद नहीं करेगा, अर्थात्:—

(क) शैक्षणिक स्थापनों और उनकी सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या उनमें अनुचित व्यवहार;

(ख) नियोजन या उपजीविका में या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार;

(ग) नियोजन या उपजीविका का प्रत्याख्यान या समाप्ति;

(घ) स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं का प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या उनमें अनुचित व्यवहार;

(ङ) जन साधारण के उपयोग हेतु समर्पित या जन साधारण को रूढ़िजन्य रूप से उपलब्ध किन्हीं मालों, वास-सुविधा, सेवा, सुविधा, फायदा, विशेषाधिकार या अवसर तक पहुंच या उसके उपबंध या अधिभोग अथवा उनके उपयोग के संबंध में प्रत्याख्यान या उन्हें जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(च) संचलन के अधिकार के संबंध में प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या उसके संबंध में अनुचित व्यवहार;

(छ) निवास करने, क्रय करने, किराए पर लेने या अन्यथा किसी संपत्ति को अधिभोग के अधिकार के संबंध में प्रत्याख्यान या उसे जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(ज) पब्लिक या प्राइवेट पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने के लिए अवसर का प्रत्याख्यान या जारी न रखना या अनुचित व्यवहार;

(झ) सरकारी या प्राइवेट स्थापनों, जिनकी देखरेख या अभिरक्षा में कोई उभयलिंगी व्यक्ति हो, में पहुंच का प्रत्याख्यान या उनके हटाना या उनमें अनुचित व्यवहार करना।

अध्याय 3

उभयलिंगी व्यक्तियों की पहचान को मान्यता

उभयलिंगी व्यक्ति की पहचान को मान्यता।

4. (1) उभयलिंगी व्यक्ति को उस रूप में इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार मान्य ठहराए जाने का अधिकार होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उभयलिंगी के रूप में मान्यताप्राप्त व्यक्ति को स्वयं-अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार होगा।

पहचान के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन।

5. उभयलिंगी व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को, उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे दस्तावेजों, जो विहित किए जाएं, के साथ आवेदन कर सकेगा:

परंतु अप्राप्तवय बालक की दशा में, ऐसा आवेदन ऐसे बालक के माता या पिता अथवा संरक्षक द्वारा किया जाएगा।

पहचान का प्रमाणपत्र जारी करना।

6. (1) जिला मजिस्ट्रेट, आवेदक को धारा 5 के अधीन पहचान का प्रमाणपत्र ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् और ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर, ऐसे व्यक्ति के लिंग को उभयलिंगी के रूप में उपदर्शित करते हुए, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(2) उभयलिंगी व्यक्ति का लिंग सभी शासकीय दस्तावेजों में उपधारा (1) के अधीन जारी प्रमाणपत्र के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी प्रमाणपत्र अधिकार प्रदत्त करेगा और उभयलिंगी व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान की मान्यता का सबूत होगा।

लिंग में परिवर्तन।

7. (1) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात्, यदि उभयलिंगी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के रूप में अपने लिंग में परिवर्तन के लिए शल्यक्रिया करवाता है तो ऐसा व्यक्ति इस आशय के लिए उस चिकित्सा संस्था के, जिसमें उस व्यक्ति ने शल्यक्रिया करवाई है, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा

अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ जिला मजिस्ट्रेट को पुनरीक्षित प्रमाणपत्र के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में आवेदन करेगा, जो विहित की जाए।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, चिकित्सा अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के साथ आवेदन की प्राप्ति पर, और ऐसे प्रमाणपत्र की सत्यता का समाधान हो जाने पर, लिंग में परिवर्तन को उपदर्शित करते हुए ऐसे प्ररूप और रीति तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) वह व्यक्ति, जिसे धारा 6 के अधीन प्रमाणपत्र या उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी किया गया है, जन्म प्रमाणपत्र और ऐसे व्यक्ति की पहचान सें संबंधित सभी अन्य शासकीय दस्तावेजों में अपने प्रथम नाम में परिवर्तन करने का हकदार होगा;

परंतु लिंग में ऐसा परिवर्तन और उपधारा (2) के अधीन जारी पुनरीक्षित प्रमाणपत्र इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति के अधिकारों और हकदारियों को प्रभावित नहीं करेगा।

अध्याय 4

सरकार द्वारा कल्याणकारी उपाय

समुचित सरकार की बाध्यता।

8. (1) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा समाज में उन्हें समाविष्ट करने के लिए कदम उठाएगी।

(2) समुचित सरकार ऐसे कल्याणकारी उपाय करेगी, जो उभयलिंगी व्यक्ति के अधिकारों और हितों को संरक्षित करने के लिए तथा उस सरकार द्वारा विरचित कल्याणकारी स्कीमों तक उनकी पहुंच को सुकर बनाने के लिए विहित किए जाएं।

(3) समुचित सरकार ऐसे कल्याणकारी ऐसी स्कीमें और कार्यक्रम तैयार करेगी जो उभयलिंगी संवेदी, लांछन न लगाने वाले तथा गैर-विभेदकारी हैं।

(4) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के उद्धार, संरक्षण और पुनर्वास हेतु कदम उठाएगी।

(5) समुचित सरकार उभयलिंगी व्यक्तियों के सांस्कृतिक और मनोरंजन क्रियाकलापों में भाग लेने के अधिकार का संवर्धन और संरक्षण करने के लिए समुचित उपाय करेगी।

अध्याय 5

स्थापनों और अन्य व्यक्तियों की बाध्यता

नियोजन में विभेद न होना।

9. कोई स्थापन, नियोजन, जिसके अंतर्गत भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दे हैं किंतु यह उस तक ही सीमित नहीं है, के संबंध में किसी उभयलिंगी व्यक्ति के साथ कोई विभेद नहीं करेगा।

स्थापनों की बाध्यताएं।

10. प्रत्येक स्थापन इस अधिनियम के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और उभयलिंगी व्यक्तियों को ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जो विहित की जाएं।

शिकायत निवारण तंत्र।

11. प्रत्येक स्थापन, इस अधिनियम के उपबंधों के अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा।

निवास का अधिकार।

12. (1) किसी बालक को उसके माता-पिता से या उसके निकट कुटुंब से उसके उभयलिंगी होने के आधार पर, ऐसे बालक के हित में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना, पृथक नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक उभयलिंगी व्यक्ति को,—

(क) उस गृहस्थी में जहां उसके माता या पिता या निकट कुटुंब के सदस्य निवास करते हैं, निवास का अधिकार होगा;

(ख) ऐसे गृहस्थी या उसके किसी भाग से अपवर्जित न करने का अधिकार होगा;

(ग) ऐसे गृहस्थी की सुविधाओं का गैर-विभेदकारी रीति में उपभोग करने का अधिकार होगा।

(3) जहां किसी उभयलिंगी के माता या पिता या उसके निकट कुटुंब का सदस्य उसकी देखभाल करने में असमर्थ है, वहां सक्षम न्यायालय आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को पुनर्वास केंद्र में रखे जाने का निदेश देगा।

अध्याय 6

उभयलिंगी व्यक्तियों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य

13. समुचित सरकार द्वारा वित्तपोषित या मान्यताप्राप्त प्रत्येक शैक्षिक संस्था समावेशी शिक्षा और क्रीड़ा, मनोंरजन और अवकाश क्रियाकलापों के लिए उभयलिंगी व्यक्ति को बिना किसी विभेद के अन्य व्यक्तियों के साथ समानता के आधार पर अवसर उपलब्ध कराएगी। शैक्षिक संस्थाओं की उभयलिंगी व्यक्तियों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने की बाध्यता।

14. समुचित सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए जीविका को सुकर बनाने और उसमें सहायता करने के लिए, कल्याणकारी स्कीमें तथा कार्यक्रम, जिनके अंतर्गत वृत्तिक प्रशिक्षण तथा स्व-रोजगार भी है, बनाएगी। वृत्तिक प्रशिक्षण और स्व-रोजगार।

15. समुचित सरकार, उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:- स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं।

(क) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा इस निमित्त जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के लिए सीरम निगरानी संचालित करने के लिए पृथक् मानव प्रतिरक्षा अल्पता विषाणु सीरम निगरानी केन्द्रों की स्थापना करना;

(ख) चिकित्सा देखरेख सुविधा, जिसके अंतर्गत लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया और हार्मोन संबंधी उपचार भी है, प्रदान करना;

(ग) पूर्व और पश्चात् लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया और हार्मोन चिकित्सा परामर्श;

(घ) वर्ल्ड प्रोफेसन एसोसिएशन फार ट्रांसजेंडर हेल्थ गाइड लाइंस के अनुसार लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया से संबंधित स्वास्थ्य मैनुअल निकालना;

(ङ) चिकित्सकों के लिए उनके विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों पर ध्यान देने के लिए चिकित्सा पाठ्यचर्या और अनुसंधान का पुनर्विलोकन करना;

(च) अस्पतालों और अन्य स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं तथा केन्द्रों में उभयलिंगी व्यक्तियों तक पहुंच को सुकर बनाना;

(छ) उभयलिंगी व्यक्तियों की समग्र बीमा योजना द्वारा लिंग पुन: नियतन शल्यक्रिया, हार्मोन चिकित्सा, लेजर चिकित्सा या किन्हीं अन्य स्वास्थ्य मुद्दों पर चिकित्सा व्यय को चुकाने के लिए उपबंध।

अध्याय 7

उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्

16. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करने और सौंपे गए कृत्यों को करने के लिए अधिसूचना द्वारा एक उभयलिंगी व्यक्ति राष्ट्रीय परिषद् का गठन करेगी। उभ्यलिंगी व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्।

(2) राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक केन्द्रीय मंत्री, अध्यक्ष, पदेन;

(ख) सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक राज्य मंत्री, उपाध्यक्ष, पदेन;

(ग) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भारसाधक सचिव, भारत सरकार, सदस्य, पदेन;

(घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय तथा विधि कार्य विभाग, पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग तथा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, प्रत्येक से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन;

(ङ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रत्येक में से भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून रैंक का एक प्रतिनिधि, सदस्य पदेन;

(च) चक्रानुक्रम से राज्य सरकार और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्येक का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक-एक प्रतिनिधि, सदस्य, पदेन;

(छ) उभयलिंगी समुदाय के पांच प्रतिनिधि, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों से चक्रानुक्रम से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से एक-एक, नामनिर्दिष्ट किया जाए, सदस्य;

(ज) उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पांच सदस्य; और

(झ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में उभयलिंगी व्यक्तियों के कल्याण के संबंध में कार्रवाई करने वाला भारत सरकार का संयुक्त सचिव, सदस्य-सचिव, पदेन।

(3) पदने सदस्य से भिन्न, राष्ट्रीय परिषद् का सदस्य उसके नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परिषद् के कृत्य।

17. राष्ट्रीय परिषद् निम्नलिखित कृत्यों को करेगी, अर्थात्:—

(क) केंद्रीय सरकार को उभयलिंगी व्यक्तियों के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, विधान और परियोजनाएं तैयार करने हेतु परामर्श देना;

(ख) उभयलिंगी व्यक्तियों की समानता और पूर्ण सहभागिता प्राप्त करने के लिए परिकल्पित नीतियों और कार्यक्रमों के समाघात की मानीटरी करना तथा उसका मूल्यांकन करना;

(ग) सरकार के सभी विभागों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों, जो उभयलिंगी व्यक्तियों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई कर रहे हैं, के क्रियाकलापों का पुनर्विलोकन करना और समन्वय करना;

(घ) उभयलिंगी व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करना;

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य करना, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

अध्याय 8

अपराध और शास्तियां

अपराध और शास्तियां।

18. जो कोई,—

(क) किसी उभयलिंगी व्यक्ति को, सिवाय सरकार द्वारा लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा से भिन्न, बलात्श्रम या बंधितश्रम के कार्य में लगाने के लिए विवश करेगा या फुसलाएगा;

(ख) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के किसी सार्वजनिक स्थान में मार्गाधिकार का प्रत्याख्यान करेगा या ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान, जिस तक अन्य व्यक्तियों की पहुंच है या उसका उपयोग करने का उन्हें अधिकार है, के उपयोग करने से या उस तक पहुंच को अवरुद्ध करेगा;

(ग) उभयलिंगी व्यक्ति को गृहस्थी, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए विवश करेगा या छोड़ना कारित करेगा;

(घ) किसी उभयलिंगी व्यक्ति के जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य या भलाई की अपहानि या क्षति करेगा या खतरे में डालेगा, चाहे वह मानसिक या शारीरिक हो, या ऐसे कृत्य करेगा, जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग कारित करना, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग तथा आर्थिक दुरूपयोग भी है,

कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी, किंतु दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा।

अध्याय 9

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

19. केंद्रीय सरकार, समय-समय पर, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, राष्ट्रीय परिषद् को ऐसी राशियां उधार देगी, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

20. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और न कि उसके अल्पीकरण में।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

21. इस अधिनियम के और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 के अधीन कोई आवेदन किया जाएगा;

(ख) वह प्रक्रिया, प्ररूप और रीति तथा वह अवधि, जिसमें धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन पहचान प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया जाएगा;

(घ) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन पुनरीक्षित प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप, अवधि और रीति;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधित किए जाने वाले कल्याणकारी उपाय;

(च) धारा 10 के अधीन उपलब्ध कराई जाने वाल सुविधाएं;

(छ) धारा 17 के खंड (ङ) के अधीन राष्ट्रीय परिषद् के अन्य कृत्य;

(ज) कोई अन्य विषय जो अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दानों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु, नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष, और जहां विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

23. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 41)

[5 दिसम्बर, 2019]

चिट फंड अधिनियम, 1982
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चिट फंड (संशोधन) अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 2 का संशोधन।

1982 का 40

2. चिट फंड अधिनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खंड (ख) में ''कुरी'' शब्द के पश्चात् ''बंधुता फंड, आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा;

(iii) खड (ज) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

'(ञक) ''कसल चिट रकम'' से सभी अभिदाताओं द्वारा चिट की किसी किस्त के लिए बट्टे की कोई कटौती किए बिना या अन्यथा संदेय अभिदायों की कुल रकम अभिप्रेत है;

(ञख) ''शुद्ध चिट रकम'' से सकल चिट रकम और बट्टे के बीच का अंतर अभिप्रेत है और किसी टिकट के किसी भाग की दशा में, उस सकल चिट रकम और टिकट के उस भाग के आनुपातिक बट्टे के बीच का अंतर अभिप्रेत है तथा जब शुद्ध चिट रकम नकद से भिन्न रूप से संदेय है तब शुद्ध चिट रकम का मूल्य वह मूल्य होगा जब वह संदेय हो जाता है;';

(v) खंड (ड) का लोप किया जाएगा;

(vi) खंड (त) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा; अर्थात्:—

'(तक) ''बट्टे का शेयर'' से बट्टे की उस रकम में से, जो चिट करार के अधीन चिट की प्रत्येक किश्त के अभिदाताओं के बीच आनुपातिक वितरण के लिए उपलब्ध हो, अभिदाता का शेयर अभिप्रेत है;'।

कतिपय पदों के स्थान पर कतिपय अन्य पदों के लिए शब्दों का प्रतिस्थापन।

3. सम्पूर्ण मूल अधिनियम में,—

(i) ''चिट रकम'' शब्दों के स्थान पर ''सकल चिट रकम'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''लाभांश'' शब्द के स्थान पर ''बट्टे का शेयर'' शब्द रखे जाएंगे; और

(iii) ''इनामी रकम'' के स्थान पर ''शुद्ध चिट रकम'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''चिट'' ''चिट फंड'', ''चिटटी'', ''कुरी'', ''बधुता फंड'' या ''आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था'' शब्दों का प्रयोग।

'11. (1) कोई भी व्यक्ति चिट कारबार तब तक नहीं करेगा, जब तक कि वह अपने नाम के भाग के रूप में ''चिट'', ''चिट फंड'', ''चिट्टी'', ''कुरी'', ''बंधुता फंड'' या ''आवर्ती बचत और प्रत्यय संस्था' शब्दों में से किसी शब्द का प्रयोग नहीं करता है और चिट कारबार करने वाले व्यक्ति से भिन्न कोई भी व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं करेगा।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर,—

(क) कोई व्यक्ति अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे शब्दों में से, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट है, किसी शब्द का प्रयोग किए बिना चिट कारबार कर रहा है; या

(ख) कोई ऐसा व्यक्ति, जो चिट कारबार नहीं कर रहा है, अपने नाम के भाग के रूप में ऐसे किसी शब्द का प्रयोग कर रहा है,

वहां वह ऐसे प्रारंभ से एक वर्ष की अवधि के भीतर, यथास्थिति, ऐसे किसी शब्द अपने नाम के भाग के रूप में जोड़ लेगा या ऐसे शब्द को अपने नाम में से हटा देगा:

परंतु यदि राज्य सरकार लोक हित में या किसी कठिनाई से बचने के लिए आवश्यक समझती है, तो वह एक वर्ष की उक्त अवधि को, ऐसी अतिरिक्त अवधि या अवधियों के लिए बढ़ा सकेगी, जो कुल मिलाकर एक वर्ष से अधिक न हो।'।

धारा 13 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) उपधारा (1) में ''एक लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) खंड (क) में ''छह लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''अठारह लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ख) में ''एक लाख रुपए'' शब्दों के स्थान पर ''तीन लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 16 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में, ''अभिदाताओं की उपस्थिति में'' शब्दों के पश्चात् ''जो वैयक्तिक रूप से उपस्थित हैं या प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से अभिलिखित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) में,— धारा 17 का संशोधन।

(क) "अभिदाताओं द्वारा जो" शब्दों के पश्चात् "वैयक्तिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन उपस्थित होने के लिए अपेक्षित दो अभिदाता वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से उपस्थित हैं, वहां प्रदान के पास, इनाम निकालने की तारीख से दो दिन की अवधि के भीतर, ऐसे अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवाहियों का कार्यवृत्त होगा।"।

8. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) में,— धारा 21 का संशोधन।

(i) खंड (ख)में "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "सात प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (च) में "और" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(चक) अन्य गैर-इनामी चिटों में जमा अतिशेष के विरुद्ध अपने धारणाधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा; और।'।

9. मूल अधिनियम की धारा 85 के खंड (ख) में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए" शब्द रखे जाएंगे। धारा 85 का संशोधन।

इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 42)

[5 दिसम्बर, 2019]

जनता की अपहानि से सुरक्षा करने के लिए जन स्वास्थ्य के हित में इलेक्ट्रानिक सिगरेट के उत्पादन विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने के लिए उससे संबंधित उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम, 2019 है।

(2) यह 18 सितंबर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

संघ द्वारा नियंत्रण की समीचीनता के बारे में घोषणा।

2. यह घोषणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ को इलेक्ट्रानिक सिगरेट उद्योग को अपने नियंत्रणाधीन ले लेना चाहिए।

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''विज्ञापन''से किसी प्रकाश, ध्वनि, धूम्र, गैस, मुद्रण, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इंटरनेट या वेबसाईट या सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया कोई भी श्रवण या दृश्य प्रचार, प्रदर्शन या की गई घोषणा अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई भी नोटिस, परिपत्र, लेबल, रैपर, बीजक या अन्य दस्तावेज या युक्ति भी है;

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है:—

(i) उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी;

(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी अन्य अधिकारी;

(ग) ''वितरण'' के अंतर्गत नमूनों के माध्यम से वितरण भी है, चाहे वे मुफ्त हो या अन्यथा और ''वितरित करना'' पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

(घ) ''इलेक्ट्रानिक सिगरेट'' से ऐसी एक इलेक्ट्रानिक युक्ति अभिप्रेत है, जो अंत:श्वसन के लिए वायुधुन्ध पैदा करने के लिए निकोटीन और सुवास सहित या रहित किसी द्रव्य को गर्म करती है और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रानिक निकोटीन परिदान प्रणाली, हीट नोट बर्न उत्पाद, ई-हुक्का और वैसी ही युक्तियां भी हैं, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों और किसी भी आकृति, आकार या रूप की हों किन्तु इसके अंतर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन अनुज्ञप्त कोई भी उत्पाद नहीं आता है। 1940 का 23

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''द्रव्य'' पद के अंतर्गत कोई भी प्राकृतिक या कृत्रिम दव्य या कोई अन्य पदार्थ भी है, चाहे वह ठोस स्थिति में हो या द्रव के रूप में हो या गैस या वाष्प के रूप में हो;

(ङ) ''निर्यात'' से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत में भारत से बाहर किसी स्थान पर ले जाना अभिप्रेत है;

(च) ''आयात'' से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(छ) ''विनिर्माण'' से इलैक्ट्रानिक सिगरेट या उसके किसी भाग को बनाने या उनका संयोजन करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक सिगरेट और उसके किसी भाग के विनिर्माण के लिए आनुषंगिक या सहायक कोई भी उप-प्रक्रिया भी है;

(ज) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(झ) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई भी व्यष्टि या व्यष्टियों का समूह;

(ii) कोई फर्म (चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं);

(iii) कोई हिन्दू अविभक्त कुटुंब;

(iv) कोई न्यास;

(v) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(vi)कोई सरकारी सोसाइटी;

(vii) कोई निगम या कंपनी या व्यष्टियों का निकाय; और

(viii) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो पूर्ववर्ती किसी उपखंड में नहीं आता हो;

(ञ) ''स्थान'' के अंतर्गत कोई भी गृह, कमरा, बाडा, स्थान, वाहन या उसी प्रकार का क्षेत्र भी है;

(ट) ''उत्पादन'' के अंतर्गत इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित इलेक्ट्रानिक सिगरेट और उसके किसी भाग को बनाना या उसे संयोजित करना भी है;

(ठ) ''विक्रय'' से इसके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को माल की संपत्ति का कोई भी अंतरण अभिप्रेत है, (जिसके अंतर्गत आनलाइन अंतरण भी है), चाहे नकद के बदले में हो या प्रत्यय पर हो या विनिमय के माध्यम से हो तथा चाहे थोक विक्रय हो या खुदरा विक्रय हो और इसके अंतर्गत विक्रय के लिए करार और विक्रय का प्रस्ताव तथा विक्रय के लिए अभिदर्शन भी है।

इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण और विज्ञापन का प्रतिषेध।

4. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से,—

(i) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का, चाहे वह पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या उसका कोई भाग हो, उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण नहीं करेगा; और

(ii) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी ऐसे विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का संवर्धन करता है।

इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के भंडारण का प्रतिषेध।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी व्यक्ति, जो किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी है या उस पर नियंत्रण रखता है या उसका उपयोग करता है, जानबूझकर उसका उपयोग इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टॉक के भंडारण के लिए उपयोग करने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा:

परंतु अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विक्रय, वितरण, परिवहन, निर्यात या विज्ञापन के लिए रखे गए विद्यमान स्टॉक का इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति से व्ययन किया जाएगा—

(क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के विद्यमान स्टॉक की बाबत स्थान का स्वामी या अधिभोगी, स्वप्रेरणा से, उसके कब्जे में इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के ऐसे स्टॉक की सूची तैयार करेगा और अनावश्यक विलंब के बिना सूची में यथा विनिर्दिष्ट स्टॉक को प्राधिकृत अधिकारी के निकटतम कार्यालय में प्रस्तुत करेगा; और

(ख)यह प्राधिकृत अधिकारी, जिसके पास खंड (क) के अधीन इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के किसी स्टॉक को भेजा जाता है, समस्त सुविधायुक्त प्रेषण सहित, ऐसे उपाय करेगा, जो तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार व्ययन के लिए आवश्यक हों।

वारंट के बिना प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति।

6. (1) कोई प्राधिकृत अधिकारी, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, तो वह ऐसे किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा, जहां—

(क) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई भी व्यापार या वाणिज्य किया जाता है या इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का उत्पादन, पूर्ति, वितरण, भंडारण या परिवहन किया गया है; या

(ख) इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का कोई विज्ञापन बनाया गया है या बनाया जा रहा है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तलाशी पूरी होने के पश्चात्, प्राधिकृत अधिकारी उक्त स्थान में तलाशी के परिणामस्वरूप पाए गए किसी भी अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करेगा, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में उपयोग किया जाना आशयित है या उपयोग किए जाने का युक्तियुक्त संदेह है और यदि वह उचित समझता है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, तो उसे अभिरक्षा में लेगा और उसे इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख या संपत्ति सहित प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पेश करेगा।

(3) जहां अभिलेख या संपत्ति को अभिगृहीत करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी ऐसी संपत्ति, स्टॉक को या उत्पादक, विनिर्माता, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता, परिवहनकर्ता, विक्रेता, वितरक, विज्ञापनकर्ता या स्टॉकिस्ट द्वारा रखे गए अभिलेखों को कुर्क करने का लिखित में आदेश कर सकेगा,

जिनके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन से किसी अपराध के संबंध में शिकायत की गई है या कोई विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई है या कोई युक्तियुक्त संदेह है और ऐसा आदेश उक्त अपराध से संबंधित व्यक्ति पर आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन समस्त तलाशी, अभिग्रहण और कुर्की दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी। 1974 का 2

धारा 4 के उल्लंघन के लिए दंड।

7. जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से और दूसरे या पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

धारा 5 के उल्लंघन के लिए दंड।

8. जो कोई, धारा 5 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

अपराधों की अधिकारिता और विचारण।

9. (1) धारा 4 या धारा 5 के अधीन किसी अपराध को करने वाले किसी भी व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किसी भी ऐसे स्थान में किया जाएगा, जहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विचारण किए जाने के दायित्वाधीन है।

(2) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में विचारण के लिए उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा किया जाएगा। 1974 का 2

अभिगृहीत स्टॉक का व्ययन करने की शक्ति।

10. न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के समापन के पश्चात् और यदि यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत स्टॉक इलेक्ट्रानिक सिगरेटों का स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक का व्ययन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। 1974 का 2

कंपनियों द्वारा अपराध।

11. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया जाता है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसा अपराध किए जाने के समय कंपनी का भारसाधक था और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी था तथा उसके साथ ही साथ, कंपनी भी अपराध की दोषी समझे जाएंगे और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होंगे:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था, उसने ऐसे अपराध को किए जाने से रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाता है कि अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्‌नुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के दायित्वाधीन होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) ''कंपनी'' से कोई भी निगमित निकाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) ''निदेशक'' से कंपनी में पूर्णकालिक निदेशक अभिप्रेत है और किसी फर्म के संबंध में फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान।

12. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किए गए लिखित परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं। 1974 का 2

अपराधों का संज्ञेय होना।

13. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 4 के अधीन कोई अपराध संज्ञेय होगा।

14. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

15. इस अधिनियम के उपबंध इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उतपादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और उसके अल्पीकरण में नहीं है। अन्य विधियों का लागू वर्जित न होना।

16. केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी, जो इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक किया गया है या किया जाना आशयित है। सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई से संरक्षण।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित किसी आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न हो और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

18. (1) इलेक्ट्रानिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण ओर विज्ञापन) प्रतिषेध अध्यादेश, 2019 को निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

2019 का अध्यादेश सं. 14

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी।

पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 49)

[13 दिसम्बर, 2019]

कतिपय मानक स्थापित करके पोत पुनर्चक्रण के विनियमन और ऐसे मानकों के प्रवर्तन के लिए कानूनी क्रिया विधि अधिकथित करने के लिए और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन ने सुरक्षित और पर्यावरण उपयुक्त पोत पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 2009 अंगीकृत किया है जो सुनिश्चित करता है कि पोतों को जब उनके क्रियाशील संक्रियात्मक जीवन के समाप्त होने के पश्चात् जब पुन:चक्रित किया जाता है तो वह पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा को अनावश्यक जोखिम नहीं पहुंचाए;

और उक्त अभिसमय अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन सदस्य राज्यों, गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग और अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा परिसंकटमय अपशिष्ट के सीमा परे संचलन और उसके निपटान पर बैसल अभिसमय, 1989 के पक्षकारों के साथ सहकार से विकसित किया गया था;

और हांगकांग अभिसमय पोतों की परिकल्पना, सन्निर्माण, प्रचालन और निर्मिति से संबंधित पहलू अभिकथित करता है ताकि पोतों की सुरक्षा और प्रचालन दक्षता से समझौता किए बिना सुरक्षित और पर्यावरण दृष्टि से सही पुनर्चक्रण सुकर बनाया जा सके और पोतों के पुनर्चक्रण के लिए एक समुचित प्रवर्तन क्रियाविधि स्थापित की जा सके;

और उक्त अभियमय में ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट हैं। जो भारत में पोतों के पुनर्चक्रण को विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पोत विघटन संहिता (पुनरीक्षण), 2013 में समाविष्ट नहीं हैं;

और उक्त अभिसमय, ऐसे देशों जो इसके पक्षकार हो चुके हैं, द्वारा अंतरराष्ट्रीय रूप से अनुसरित किए जाने वाले बहुपक्षीय ढांचे को अधिकथित करता है;

और भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन का सदस्य होने के नाते उक्त अभिसमय में भाग लिया था और पोत पुनर्चक्रण की प्रक्रिया के दौरान पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य के संरक्षण तथा सुरक्षा पर विचार अभिव्यक्त किए थे;

और अब पूर्वोक्त अभिसमय में सम्मिलित होना और पोत पुनर्चक्रण से संबंधित मुद्दे पर समुचित विधान का होना समीचीन समझा गया;

भारत गणराजय के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध को प्रवर्तन में लाने के संबंध में किया जाएगा।

(3) जब तक अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं हो इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे—

(क) कोई विद्यमान पोत जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है चाहे जहां कहीं हों;

(ख) कोई नया पोत जिसका भारत में रजिस्ट्रीकृत होना अपेक्षित हो, चाहे जहां कहीं हो;

(ग) खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न पोत, जो किसी पत्तन, पोत प्रांगण या अपतटीय टर्मिनल या भारत में किसी स्थान या अनन्य आर्थिक जोन के भीतर या भारत के राज्यक्षेत्रीय खंड या उसके निकटवर्ती किन्हीं सामुद्रिक क्षेत्रों जिनके ऊपर भारत की, राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में अनन्य अधिकारिता है या हो सकती है, में प्रवेश करता है; 1976 का 80

(घ) कोई युद्धपोत, नौसेना सहायक या प्रशासन के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा प्रचालित अन्य पोत और जिसका उपयोग सरकारी गैर-वाणिज्यिक सेवाओं के लिए किया गया है और जिसे भारत की राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता में या उसके भीतर प्रचालित पोत पुनर्चक्रण सुविधा में पुनर्चक्रण के लिए नियत किया गया है; और

(ङ) भारत में या भारत की अनन्य राज्यक्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी क्षेत्र में प्रचालित पोत पुनर्चक्रण सुविधाएं।

परिभाषाएं।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासन" से देश की सरकार अभिप्रेत है; जिसके ध्वज को पोत लगाने का हकदार है या जिसके प्राधिकार के अधीन वह प्रचालित है;

(ख) "पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार का प्रमाणपत्र" से धारा 12 की उपधारा (6) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "परिसंकटमय सामग्री की सूची का प्रमाणपत्र" से धारा 8 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "सक्षम प्राधिकारी" से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 4 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित है;

(ङ) ''परिसंकटमय सामग्री'' से ऐसी सामग्री या पदार्थ अभिप्रेत है जो मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवों, संपत्ति या पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए दायी है;

(च) ''राष्ट्रीय प्राधिकारी'' से धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा पदाभिहित ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(छ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' और ''अधिसूचित'' अभिव्यक्ति का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) ''पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र'' से धारा 16 में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(ञ) ''विनियम'' से इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ट) ''पोत'' से जलयान या किसी भी प्रकार की प्लवमान संरचना जो सामुद्रिक पर्यावरण में प्रचालित है या प्रचालित की जा रही है और इसके अंतर्गत निमज्जनी, प्लवमान यान, प्लवमान प्लेटफार्म, स्वयं-उत्थापित प्लेटफार्म, प्लवमान भंडारण इकाई और सदृश सम्मिलित है;

(ठ) ''पोत स्वामी'' से अभिप्रेत है–

(i) पोत स्वामी के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम अथवा व्यष्टियों का निकाय अथवा कंपनी; या

(ii) कोई संगठन या व्यक्ति जैसे कि प्रबंधक या नाव को मात्र भाड़े पर लेने वाला जिसने पोत के स्वामी से पोत के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है;

(iii) कोई कंपनी जो प्रचालक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है और सरकार के स्वामित्वाधीन किसी पोत को प्रचालित कर रही है; या

(iv) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम अथवा कंपनी जो पोत को उसके विक्रय के लिए लंबित, सीमित अवधि के लिए या पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए सौंपने तक धारण करती है;

(ड) ''पोत पुनर्चक्रक'' से पोत पुनर्चक्रण सुविधा का स्वामी या कोई अन्य संगठन अथवा व्यक्ति जिन्होंने पोत पुनर्चक्रक सुविधा के प्रचालन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अधिरोपित सभी कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को लेने के लिए सहमत हैं;

(ढ) ''पोत पुनर्चक्रण'' से परिसंकटमय और अन्य सामग्री का ध्यान रखते हुए पुन:प्रसंस्करण और पुन:उपयोग के लिए संघटक और सामग्री पुन:प्राप्ति के क्रम में पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर किसी पोत को विखंडित करने का क्रियाकलाप अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहबद्ध संक्रियांए जैसे स्थल पर भंडारण संघटकों और सामग्रियों का उपचार भी सम्मिलित है परंतु पृथक सुविधाओं में और प्रसंस्करण या निपटान सम्मिलित नहीं है;

(ण) ''पोत पुनर्चक्रण सुविधा'' से एक निश्चित क्षेत्र अभिप्रेत है जो पोत पुनर्चक्रण के लिए उपयोग किया गया स्थल, प्रांगण या सुविधा है और ऐसी अपेक्षाओं को पूरी करती है जो विनियमों द्वारा विहित की जाए;

(त) ''पोत पुनर्चक्रण योजना'' से पोत के लिए विनिर्दिष्ट एक योजना अभिप्रेत है जो किसी पोत के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही रीति से पुनर्चक्रण के लिए पोत पुनर्चक्रण सुविधा द्वारा विकसित की गई है;

(थ) ''स्वीकृति कथन'' से धारा 20 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट स्वीकृति कथन अभिप्रेत है;

(द) ''समापन कथन'' से धारा 23 में निर्दिष्ट समापन कथन अभिप्रेत है;

(ध) ''सर्वेक्षक'' से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 3 के खंड (48) के अधीन यथा परिभाषित सर्वेक्षक या कोई अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का निकाय जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए अभिप्रेत है; 1958 का 44

(न) ''कर्मकार'' से किसी पोत पुनर्चक्रण में या पोत पुनर्चक्रण के लिए उपयोग की गई किसी मशीनरी या परिसर के किसी भाग को साफ करने में या पोत पुनर्चक्रण के आनुषंगिक अथवा उससे संबंधित किसी अन्य प्रकार के कार्य में या पोत पुनर्चक्रण के अध्यधीन रहते हुए सीधे या किसी अधिकरण (जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं) के द्वारा या उसके माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी या उसकी जानकारी के बिना चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, परंतु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बलों का कोई सदस्य नहीं हैं।

(2) शब्द और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है किंतु निम्न अधिनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में हैं:–

(i) विस्फोटक अधिनियम, 1884; 1884 का 4

(ii) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917; 1917 का 1

(iii) पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; 1934 का 30

(iv) कारखाना अधिनियम, 1948; 1948 का 63

(v) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958; 1958 का 44

(vi) परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962; 1962 का 33

(vii) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972; 1972 का 53

(viii) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974; 1974 का 6

(ix) राज्यक्षेत्रीय सागरखंड, महाद्वीप मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976; 1976 का 80

(x) वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980; 1980 का 69

(xi) वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 1981; 1981 का 14

(xii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; 1986 का 29

अध्याय 2

अधिनियम के अधीन प्राधिकारी

राष्ट्रीय प्राधिकारी का पदाभिधान।

3. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, भारत सरकार के संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के किसी अधिकारी को राष्ट्रीय प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी, जो इस अधिनियम के अधीन पोत पुनर्चक्रण से संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रशासन, पर्यवेक्षण और मॉनीटरी करेगा।

सक्षम प्राधिकारी का पदाभिधान।

4. केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्रों जैसा कि विहित किया जाए, के भीतर ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकारी जिसे सक्षम प्राधिकारी कहा गया है को पदाभिहित कर सकेगी।

अध्याय 3

पोत के लिए अपेक्षाएं

इस अध्याय के उपबंधों का लागू न होना।

5. इस अध्याय में अंतर्विष्ट कोई बात निम्नलिखित को लागू न होगी:—

(क) कोई युद्धपोत नौसेना सहायक या सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा प्रचालित और गैर-सरकारी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए अन्य पोत;

(ख) पांच सौ सकल टनभार से कम के पोत:

परंतु केंद्रीय सरकार, जहां तक व्यवहार्य हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे पोत इस अधिनियम से संगत रीति में कार्य करें, ऐसे पोतों के प्रचालन या प्रचालन क्षमताओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करें, समुचित उपाय अधिसूचित कर सकेगी।

परिसंकटमय सामग्री पर नियंत्रण।

6. (1) कोई पोत ऐसी प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए को प्रतिष्ठापित या उसका उपयोग नहीं करेगा:

परंतु केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट कारणों के लिए पोतों के कतिपय वर्गों या प्रवर्गों को उपधारा (1) के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) प्रत्येक पोत ऐसे निर्बंधनों और शर्तों का अनुपालन करेगा जो विहित की जाएं।

सर्वेक्षण।

7. (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी या ऐसा व्यक्ति अथवा संगठन जिसे केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे, पोतों का निम्नलिखित सर्वेक्षण करेगा:—

(क) परिसंकटमय सामग्रियों की सूची पर प्रमाणपत्र जारी करने से पहले आरंभिक सर्वेक्षण, ताकि ऐसी अपेक्षाएं जो विहित की जाएं सत्यापित की जा सके;

(ख) पांच वर्ष से अनधिक अंतरालों पर नवीकरण सर्वेक्षण, जो विहित किया जाए;

(ग) पोत स्वामी के अनुरोध पर संरचना, उपस्कर, प्रणाली फिटिंग, व्यवस्था या सामग्री में परिवर्तन, प्रतिस्थापन या महत्वपूर्ण मरम्मत के पश्चात् या तो साधारण या आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण;

(घ) पोत को सेवा से बाहर करने के पूर्व और पोत के पुनर्चक्रण से पहले एक अंतिम सर्वेक्षण ताकि ऐसी अपेक्षाएं जो विहित की जाए, सत्यापित की जा सके; और

(ङ) ऐसे अन्य सर्वेक्षण जो विहित किए जाएं।

(2) सर्वेक्षण, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा और इस निमित प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र।

8. (1) प्रत्येक नए पोत का स्वामी, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी को परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र प्रत्येक पोत के लिए विनिर्दिष्ट होगा:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर विद्यमान पोत और जिसके लिए परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, ऐसे पोत का स्वामी, इस अधिनियम की आरंभ की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकेगा:

परंतु यह और कि परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर किसी प्रशासन द्वारा जारी प्रमाणपत्र इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए मान्य होगा।

(2) परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर प्रमाणपत्र के निबंधन और शर्तें, प्रारूप तथा अनुदत्त करने की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

(3)नए प्रतिष्ठानों को उपदर्शित करते हुए जिसके अन्तर्गत परिसंकटमय सामग्रियों और पोत ढांचे और उपस्कर में सुसंगत परिवर्तन हैं, की पोत के संपूर्ण प्रचालन जीवन के दौरान परिसंकटमय सामग्रियों की मालसूची के प्रमाणपत्र का उचित अनुरक्षण करेगा और अद्ययतन रखेगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''नया प्रतिष्ठापन'' अभिव्यक्ति में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख के पश्चात् पोत पर प्रतिष्ठापित प्रणालियां, उपस्कर, रोधन या अन्य सामग्री सम्मिलित है।

(4) परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अनुसार संचालित एक अतिरिक्त सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् प्रमाणपत्र पृष्ठांकित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''विद्यमान पोत'' अभिव्यक्ति से ऐसा पोत अभिप्रेत है जो नया पोत नहीं है;

(ii) ''नया पोत'' से ऐसा पोत अभिप्रेत है,–

(क) जिसके निर्माण के लिए संविदा इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख को या उसके पश्चात् की गई है; या

(ख) उपधारा (क) में निर्दिष्ट पोत से भिन्न, जिसकी कील रख दी गई है या जो इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से छह मास के पश्चात् निर्माण की समान अवस्था में है; या

(ग) जिसका इस अधिनियम के प्रवर्तन की तारीख से तीस माह के पश्चात् परिदान किया जाना है,

और जिसे भार में रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है।

प्रमाणपत्र की विधिमान्यता।

9. धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जारी किया जाएगा या नवीकृत किया जाएगा, जो विहित की जाए:

परंतु जहां परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर प्रमाणपत्र की विधिमान्यता ऐसे समय समाप्त होती है जब पोत ऐसे पतन में नहीं है जिसका सर्वेक्षण किया जाना है, प्रशासन ऐसे प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि का विस्तार कर सकेगा और ऐसा विस्तार तभी अनुदत्त किया जाएगा जब–

(क) जहां पोत को उस पतन तक जिसमें उसका सर्वेक्षण किया गया था, यात्रा पूरी करना अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए; या

(ख) ऐसी दशा में जहां प्रशासन को ऐसा करना उचित और युक्तियुक्त प्रतीत होता है:

परंतु यह और कि कोई प्रमाणपत्र तीन मास की अवधि से अधिक विस्तारित नहीं किया जाएगा और पोत जिसे ऐसे विस्तार प्रदान किया जाता है, के ऐसे पत्तन जहां उसका सर्वेक्षण किया जाना है पहुंचने पर, ऐसे विस्तार के आधार पर प्रमाणपत्र का नवीकरण कराए बिना पत्तन को छोड़ने का हकदार नहीं होगा।

प्रमाणपत्र का निलंबन या रद्दकरण।

10. परिसंकटमय सामग्रियों की मालसूची पर प्रमाणपत्र राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित किन्हीं दशाओं में निलंबन या रद्दकरण का दायी होगा, अर्थात्:–

(i) जहां पोत, प्रथमदृष्टया, प्रमाणपत्र की विशिष्टियों का अनुपालन नहीं करता है;

(ii)जहां परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पोत की संरचना और उपस्कर में ऐसे परिवर्तन जो विहित किए जाएं, के साथ उचित रूप से नहीं रखी जाती है और अद्यतन नहीं की जाती है;

(iii) पोत के किसी दूसरे राज्य की ध्वजा में अंतरण की दशा में;

(iv) यदि प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण, धारा 7 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जाता; या

(v) यदि प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन निम्नलिखित का प्रकटन नहीं करता,—

(क) धारा 7 के अधीन यथा अपेक्षित अतिरिक्त सर्वेक्षण का संचालन; या

(ख) धारा 9 के अधीन अपेक्षित प्रमाणपत्र की विधिमान्यता का विस्तार:

परंतु इस धारा के अधीन कोई प्रमाणपत्र तब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा जब तक कि पोत के स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता।

अध्याय 4

पोत पुनर्चक्रण सुविधा

पोत पुनर्चक्रण सुविधा का प्राधिकार।

11. कोई पोत पुनर्चक्रक, किसी पोत का पुनर्चक्रण नहीं करेगा जब तक कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा धारा 12 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत नहीं है।

पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना और पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार के लिए प्रक्रिया।

12. (1) सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा मान्यताप्राप्त संगठन से पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र की वांछा करने वाला पोत पुनर्चक्रण, विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना तैयार करेगा और सक्षम प्राधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकार के लिए प्रत्येक आवेदन सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए, किया जाएगा।

(3)इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व पोत पुनर्चक्रण में लगी हुई प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा, ऐसे प्रारंभ की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्राधिकार के लिए आवेदन करेगी।

(4) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के आरंभ के तुरन्त पूर्व पोत पुनर्चक्रण में लगी हुई प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास की समाप्ति पर किसी ऐसे पुनर्चक्रण का संचालन करना समाप्त कर देगी, जब तक कि ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा ने प्राधिकार के लिए आवेदन नहीं किया और और उसे इस प्रकार प्राधिकृत नहीं किया जाता या जब तक ऐसे आवेदन का निपटान नहीं किया जाता, जो भी पहले हो।

(5) कोई पोत पुनर्चक्रण सुविधा इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नहीं की जाएगी जब तक कि सक्षम प्राधिकरी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सुविधा ऐस उपस्करों और मानकों जो विनियमों द्वार विहित किए जाएं, को बनाए नहीं रखती है।

(6) सक्षम प्राधिकारी कोई जांच करने के पश्चात् और उसका यह समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे प्रारूप में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्राधिकार का प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(7) कोई जांच करने के पश्चात् और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों का अनुपालन नहीं किया है तो वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, प्राधिकार के लिए आवेदन को रद्द कर सकेगा।

(8) पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार का प्रत्येक प्रमाणपत्र पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जा विनियमों द्वारा विहित की जाए विधिमान्य होगा।

(9) प्राधिकार का प्रत्येक प्रमाणपत्र ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के पश्चात् और ऐसी फीस जो विहित की जाए के संदाय पर नवीकृत किया जाएगा।

(10) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन पूरा करने के लिए प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण सुविधा की वार्षिक संपरीक्षा करेगा और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्ट ऐसे राष्ट्रीय प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा।

प्राधिकार का निलंबन या रद्दकरण।

13. (1) सक्षम प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किए जाएं, जब कभी आवश्यक समझे, पोत पुनर्चक्रण सुविधा की जांच या निरीक्षण संचालित कर सकेगा और पोत पुनर्चक्रक को यह दर्शाते हुए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न नोटिस में उल्लेखित कारणों के लिए उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर दिया जाना चाहिए।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच या निरीक्षण की रीति वह होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के उपबंधों को भंग किया गया है तो वह ऐसी किसी आपराधिक कार्यवाही जो ऐसे पोत पुनर्चक्रक के विरुद्ध की जा सकेगी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसका प्राधिकार निलंबित या रद्द कर सकेगा:

परंतु ऐसा कोई प्राधिकार पोत पुनर्चक्रक को मामले में सुने जाने का अवसर दिए बिना निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा।

(4) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी नोटिस को जारी किए बिना किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा के प्राधिकार को निलंबित या रद्द कर सकेगा।

आपात तैयारी और प्रक्रिया।

14. प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक, उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अनुसार आपात तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त उपाय करेगा। 1948 का 63

कर्मकारों की सुरक्षा, प्रशिक्षण और बीमा।

15. (1) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक, उसकी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में कर्मकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रशिक्षण और कर्मकारों के कल्याण के लिए पर्याप्त उपाय उपबंधित करेगा और इस प्रयोजन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू होंगे। 1948 का 63

(2) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रण, नियमित और अस्थायी कर्मकारों के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, व्यष्टिक या व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करेगा।

अध्याय 5

पोत पुनर्चक्रण सुविधा

पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र।

16. (1) पोत का स्वामी जो अपने पोत के पुनर्चक्रण का आशय रखता है राष्ट्रीय प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी फीस के साथ जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या संबंधित प्रशासन को ऐसे प्रशासन द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के पश्चात् जारी किया जा सकेगा और उसके जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए विधिमान्य होगा:

परंतु विधिमान्यता की अवधि राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे कारणों से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं या संबंधित प्रशासन द्वारा अवधारित प्रक्रिया के अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।

(3) पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं रहेगा, यदि पोत की स्थिति प्रमाणपत्र की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं होती है।

पोत पुनर्चक्रण योजना।

17. (1) कोई पोत पुनर्चक्रक, किसी पोत का उपधारा (2) के अधीन जारी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई पोत पुनर्चक्रक योजना के बिना पुनर्चक्रण नहीं करेगा।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी, पोतों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए पोत पुनर्चक्रण योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत विनिर्दिष्ट कर सकेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, पोत पुनर्चक्रक को सुने जाने के पश्चात् पोत पुनर्चक्रण योजना का अनुमोदन करने से मना कर सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि योजना राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन नहीं करती है।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी पोत पुनर्चक्रण योजना के अनुमोदन के संबंध में अपना विनिश्चय उसके प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिन के भीतर संप्रेषित करने में असफल रहता है तो योजना अनुमोदित की गई समझी जाएगी।

18. (1) किसी पोत का पुनर्चक्रण ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त लिखित अनुज्ञा या समझी गई अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा। साधारण अपेक्षाएं।

(2) भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत जिसका भारत के राज्यक्षेत्र से बाहर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का पुनर्चक्रण केवल ऐसी पुनर्चक्रण सुविधा पर किया जाएगा जो ऐसे प्राधिकारी को विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत है।

19. (1) पोत, जिसका भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का स्वामी– पोत स्वामी की बाध्यताएं।

(i) समुद्रीय बचाव समन्वय केंद्र और सक्षम प्राधिकारी को आगमन की तारीख के बारे में सूचना, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, देगा;

(ii) पत्तन पर पहुंचने पर सभी पत्तन बकाया; यदि कोई हो, चुकाएगा और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करेगा; और

(iii) पोत को पोत माल अवशिष्ट से साफ रखेगा और किसी बचे हुए ईंधन तेल और बोर्ड पर अवशिष्ट को न्यूनतम रखेगा।

(2) टैंकर, जिसका भारत राज्यक्षेत्र के भीतर पुनर्चक्रण किया जाना आशयित है, का स्वामी विनियमों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रवेश के लिए सुरक्षित या हॉटवर्क के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए ऐसी शर्तें पूर्ण करेगा।

20. (1) सक्षम प्राधिकारी, पोत का केवल भौतिक निरीक्षण करने के पश्चात् ही पुनर्चक्रण की अनुज्ञा प्रदान करेगा और इस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकरणों, जो विहित किए जाएं, के प्रतिनिधियों की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा। पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए प्रक्रिया।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति से प्रंद्रह दिन के भीतर अनुज्ञा प्रदान करने के संबंध में अपना विनिश्चय संप्रेषित करने में असफल रहता है तो अनुज्ञा प्रदान कर दी गई समझी जाएगी।

(3) सक्षम प्राधिकारी, पोत के स्वामी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् कारण अभिलिखित करके पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा देने से मना कर सकेगा।

(4) पोत पुनर्चक्रक, पोत पुनर्चक्रण के लिए अनुज्ञा की प्रति प्राप्त होने पर ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सक्षम प्राधिकारी को सूचना देते हुए पोत के स्वामी को स्वीकृति का कथन जारी करेगा और उसके पश्चात् पोत का स्वामी पोत को रजिस्ट्रीकरण रजिस्टर से हटवा सकेगा।

21. प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक,— परिसंकटमय सामग्री का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही प्रबंध।

(क) पोत से परिसंकटमय पदार्थ का सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही हटाया जाना और प्रबंध करना सुनिश्चित करेगा; और

(ख)आधारिक अवसरंचना सुविधाएं जिसके अंतर्गत अवशिष्ट और परिसंकटमय सामग्री के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटान या प्रबंधन से संबंधित है, भी सम्मिलित है, से संबंधित ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, करेगा।

22. (1) प्रत्येक पोत पुनर्चक्रक,— पर्यावरण के संरक्षण के लिए उपाय करने के लिए पोत पुनर्चक्रक कह बाध्यता।

(i) यह सुनिश्चित करेगा कि पोत पुनर्चक्रण सुविधा क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण को कोई क्षति नहीं हो; और

(ii) पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करेगा।

(2) सुविधा में तेल फैल जाने की दशा में, पोत पुनर्चक्रक, सक्षम प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए नोटिस तामील करेगा।

(3) इस धारा के उपबंधों के उल्लंघन के लिए पोत पुनर्चक्रक ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी पर्यावरण नुकसानी और स्वच्छता प्रचालन प्रतिकर संदाय करने का दायी होगा।

अध्याय 6

रिपोर्टिंग अपेक्षाएं

समापन का कथन। **23.** जब इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पोत पुन: चक्रित किया जाता है, तो ऐसी विशिष्टयां जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अंतर्विष्ट करने वाला समापन का कथन पोत पुनर्चक्रण द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राधिकारी को रिपोर्ट। **24.** सक्षम प्राधिकारी, समय-समय पर राष्ट्रीय प्राधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसके अंतर्गत अनुमोदित सुविधाओं की सूची, पोतों की सूची जिन्होंने इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है और ऐसे पोतों पर की गई कार्रवाई तथा पुन:चक्रित किए गए पोतों की सूची समाविष्ट करने वाली सूचना, जो राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित की जाए, सम्मिलित होगी।

अध्याय 7

अपील

सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील। **25.** (1) कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकृत सर्वेक्षक या अन्य प्राधिकृत संगठन या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिए गए विनिश्चय से व्यथित है वे ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिवस की अवधि के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकारी को ऐसी रीति में जो विहित की जाए अपील कर सकेगा:

परंतु तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन मामलों के संबंध में, जिनके लिए ऐसी विधि में अपीलीय उपबंध विद्यमान है, तब अपीलार्थी ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को अपील फाइल करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन फाइल अपील का ऐसी रीति में जो विहित की जाए निपटान किया जाएगा।

राष्ट्रीय प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील। **26.** (1) कोई व्यक्ति, जो राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी विनिश्चय से व्यथित है केंद्रीय सरकार को ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर ऐसी रीति में जो विहित की जाए अपील फाइल कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दाखिल अपील का ऐसी रीति में जो विहित की जाए निपटान किया जाएगा।

अध्याय 8

राष्ट्रीय प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी और केंद्रीय सरकार की शक्तियां और कृत्य

तलाशी लेने और अभिलेख आदि जब्त करने की शक्ति। **27.** (1) यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि किसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा पर इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किया गया है या किया जा रहा है तो ऐसे प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी सहायता, यदि कोई हो, जिसे ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी आवश्यक समझे, के साथ, ऐसी पोत पुनर्चक्रण सुविधा में युक्तियुक्त समय पर प्रवेश कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा और वहां पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, उपस्कर या किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और उसका अभिग्रहण कर सकेगा यदि ऐसे प्राधिकारी या अधिकारी को विश्वास का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के कारित किए जाने का साक्ष्य प्रस्तुत हो सकेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित उपबंध जहां तक हो सकें इस 1974 का 2
अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

किसी पोत का निरीक्षण, खारिज, अपवर्जन या निरुद्ध करने की शक्ति। **28.** (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी या प्रशासन या उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सर्वेक्षक, किसी पोत को जब वह किसी पत्तन या भारतीय समुद्र के भीतर है, युक्तियुक्त समय पर, निरीक्षण कर सकेगा:

परंतु ऐसा कोई निरीक्षण केवल यह सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए होगा कि पोत पर या तो परिसंकटमय सामग्री की सूची का प्रमाणपत्र या पुनर्चक्रण के लिए तैयार, प्रमाणपत्र है।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी, निम्नलिखित दशा में उसके पत्तनों या भारतीय समुद्री क्षेत्र के भीतर किसी पोत को खारिज, अपवर्जित या निरुद्ध कर सकेगा–

(क) परिसंकटमय सामग्री की मालसूची पर विधिमान्य प्रमाणपत्र या विधिमान्य पुनर्चक्रण के लिए तैयार विधिमान्य प्रमाणपत्र या दोनों, यथा लागू, रखने में विफल होने पर; या

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित परिसंकटमय सामग्री के लिए नियंत्रण उपायों का अननुपालन करने पर।

(3) उपधारा (2) के अधीन निरुद्ध पोत, उस समय तक निरुद्ध रहेगा जब तक कि अनुपालन नहीं किया जाता या जब तक कि ऐसे समय तक राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा ऐसे निरुद्ध पोत को पोत, पर्यावरण या पोत पर के व्यक्तियों को खतरे में डाले बिना युक्तियुक्त मरम्मत यार्ड या पत्तन पर भेजने के लिए अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाती है।

(4) भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक का कोई कमीशन प्राप्त अधिकारी या पत्तन अधिकारी, पायलेट, बंदरगाह मास्टर, पत्तन संरक्षक या सीमाशुल्क कलैक्टर पोत को निरुद्ध कर सकेगा, जिसका निरुद्ध किया जाना इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत या आदेशित है।

छूट प्रदान करने की शक्ति।

29. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हो, जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे, पर किसी जलयान या उसके किसी वर्ग, पोत पुनर्चक्रण सुविधा या पोत पुनर्चक्रक को इस अधिनियम में अंतर्विष्ट या उसके अनुसरण में विहित किसी विशिष्ट अपेक्षा से छूट प्रदान कर सकेगी या ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन से अभिमुक्त कर सकेगी यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपेक्षाओं का सारभूत रूप से पालन किया गया है या मामले की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षाओं का अनुपालन अभिमुक्त है या अभिमुक्त किया जाना चाहिए।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रदान की गई कोई छूट किन्हीं शर्तों के अध्यधीन है तो उनमें से किन्हीं शर्तों का भंग, अन्य उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन अपराध समझा जाएगा।

अधिनियम का कतिपय पोतों पर लागू न होना।

30. इस अधिनियम के उपबंध भारतीय पोतों के ऐसे प्रवर्गों को लागू नहीं होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु ऐसे पोतों से ऐसी रीति में कार्य करना जो विहित की जाए अपेक्षित होगा।

अध्याय 9

अपराध, शास्तियां, प्रतिकर

अधिनियम या नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

31. (1) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में पोत में प्रतिषिद्ध परिसंकटमय सामग्री प्रतिष्ठापित करता है या उसका उपयोग करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन माह तक या ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) जो कोई धारा 12 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) जो कोई धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(4) जो कोई धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो एक वर्ष तक या ऐसे जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(5) जो कोई विनियमों के अनुसार पोत से किसी परिसंकटमय सामग्री के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से सही निराकरण या प्रबंधन को सुनिश्चित करने में असफल रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा।

(6) जो कोई धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन तेल फैल जाने के लिए जारी किए गए नोटिस का उत्तर देने में असफल रहता है वह निम्नलिखित से दंडनीय होगा—

(i) पहला नोटिस जारी किए जाने से बारह घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा;

(ii) दूसरा नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक हो सकेगा; और

(iii) तीसरा नोटिस जारी किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर उत्तर नहीं देने की दशा में कारावास से जो तीन मास तक हो सकेगा और जुर्माने से जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा।

उस अधिनियम या नियमों या विनियमों जिनके उल्लंघन के लिए किसी विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन के लिए शास्ति।

32. जो कोई इस अधिनियम या उसके बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों जिनके लिए इस अधिनियम में कोई विनिर्दिष्ट दंड का उपबंध नहीं किया गया है का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जिसे तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है या ऐसा जुर्माना जिसे दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दंडनीय होगा और निरंतर उल्लंघन की दशा में ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है के लिए अतिरिक्त जुर्माने जिसे पांच हजार रुपए तक बढ़ाया जा सकता है से दंडनीय होगा।

अन्य अपराधों के लिए दंड।

33. (1) यदि कोई पोत, निरुद्ध किए जाने या ऐसे निरुद्ध किए जाने के किसी नोटिस या आदेश की तामील के पश्चात्, राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्मुक्त किए जाने से पहले समुद्र में ले जाया जाता है तो पोत का स्वामी या मास्टर इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(2) जो कोई इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पोत को निरुद्ध करने या उसका सर्वेक्षण करने के लिए किसी प्राधिकृत व्यक्ति को अवरुद्ध करता है या निरुद्ध करता है या बलपूर्वक समुद्र में ले जाता है तो, ऐसे पोत का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता प्रत्येक सभी व्ययों और ऐसे व्यक्ति को समुद्र में ले जाने के लिए आनुषंगिक व्ययों को अदा करने के लिए दायी होगा और वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का भी दोषी होगा।

कंपनी द्वारा अपराध।

34. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहां ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस उपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) ''कंपनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सहकारी सोसायटी, फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के संबंध में ''निदेशक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

1974 का 2

35. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और शमनीय होगा। अपराधों का असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय होना।

,

36. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा, निम्नलिखित द्वारा की गई शिकायत के सिवाय नहीं किया जाएगा— अपराधों का संज्ञान।

(क) केंद्रीय सरकार;

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी; या

(ग) सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में प्राधिकृत कोई अधिकारी।

37. जब कोई स्वामी या मास्टर अथवा अभिकर्ता धारा 33 की उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है, तो ऐसे स्वामी या मास्टर अथवा अभिकर्ता द्वारा व्ययों के लेखे देय रकम ऐसी रीति, में जो विहित की जाए, अवधारित की जाएगी और वसूल की जाएगी। स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता द्वारा देय रकम।

38. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किसी अपराध को कारित करने वाले किसी व्यक्ति का विचारण ऐसे अपराध के लिए ऐसे स्थान पर किया जा सकेगा जहां वह पाया जाता है या किसी ऐसे न्यायालय में, जिसे केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निदेश दे या किसी न्यायालय में, जहां उसका विचारण तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किया जा सकता है, किया जा सकेगा। विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता।

39. (1) जहां कोई पोत युक्तियुक्त कारण के बिना निरीक्षण या अन्वेषण के परिणामस्वरूप असम्यक् रूप से निरुद्ध या विलंबित किया जाता है तब ऐसा पोत उसके द्वारा वहन की गई किसी हानि या नुकसानी के लिए प्रतिकर का हकदार होगा। प्रतिकर।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रतिकर की दर, गणना की पद्धति और ऐसे प्रतिकर के संदाय की रीति वह होगी जो विहित की जाए।

(3) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन प्रतिकर का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के किसी अधिकारी जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति के नीचे का न हो, को विहित रीति में जांच करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् नामनिर्दिष्ट कर सकेगी।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

40. (1) केंद्रीय सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश में उपबंधित किए जाएं, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता (नियम बनाने की शक्ति के सिवास), राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून किसी अधिकारी द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी। शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अध्यधीन रहते हुए जो ऐसे आदेश से उपबंधित किए जाएं, निदेश दे सकेगा कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन या उसके संबंध में उसके द्वारा प्रयुक्त किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता (नियम बनाने की शक्ति के सिवाय), किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए द्वारा प्रयुक्त की जा सकेगी।

41. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और उसका अल्पीकरण नहीं करेंगे। अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में नहीं होना।

नियम बनाने की शक्ति।

42. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन भौगोलिक क्षेत्र या विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक पोत द्वारा अनुपालन किए जाने वाले परिसंकटमय सामग्री के किसी प्रतिष्ठापन या प्रयोग पर अधिरोपित निर्बंधन और शर्तें;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन पोतों के सर्वेक्षण के लिए सत्यापित की जाने वाली अपेक्षाएं;

(घ) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन पोत के सर्वेक्षण के लिए अपेक्षित अन्य शर्तें;

(ङ) धारा 8 की उपधारा (2) और धारा 9 के अधीन परिसंकटमय सामग्री की सूची पर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए निबंधन और शर्तें, विधिमान्यता, रूपविधान और रीति;

(च) धारा 10 के खंड (ii) के अधीन पोत की संरचना और उपस्कर में परिवर्तन;

(छ) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण की सुविधा के प्राधिकार के लिए आवेदन करने के लिए प्ररूप, फीस और रीति;

(ज) धारा 12 की उपधारा (9) के अधीन प्राधिकार के प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए रीति, अवधि और फीस;

(झ) धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन नियमित या अस्थायी कर्मकारों के लिए व्यक्तिगत या व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करने की रीति;

(ञ) धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन पोत के आगमन के बारे में अग्रिम सूचना की रीति;

(ट) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अभिकरणों के प्रतिनिधियों की सेवाओं के लिए अध्युपेक्षा;

(ठ) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन पोत पुनर्चक्रक का पर्यावरण नुकसानी के लिए दायित्व;

(ड) धारा 25 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील फाइल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति;

(ढ) धारा 26 के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपील दाखिल करने की रीति और ऐसी अपील के निपटान की रीति;

(ण) धारा 30 के परंतुक के अधीन अधिनियम के उपबंधों के लागू नहीं होने के लिए वह रीति जिसमें पोतों द्वारा कार्य किया जाना अपेक्षित है;

(त) धारा 37 के अधीन देय रकम को अवधारित करने और वसूल करने की रीति;

(थ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिकर की दर, गणना की पद्धति और प्रतिकर की रीति, जिसका पोत हकदार होगा;

(द) धारा 39 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर के संदाय के प्रयोजन के लिए जांच करने की रीति;

(ध) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है, या जो विहित किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

43. (1) राष्ट्रीय प्राधिकारी, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से और उसके अधीन बनाए गए नियमों से सुसंगत विनियम बना सकेगा। विनियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों का उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ण) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा से संबंधित अपेक्षाएं;

(ख) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंध योजना तैयार करने की रीति;

(ग) धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा रखे जाने वाले उपस्कर और अन्य मानक;

(घ) धारा 12 की उपधारा (6) के अधीन प्ररूप जिसमें प्राधिकार का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (8) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा के लिए प्राधिकार के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि;

(च) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच और निरीक्षण की रीति;

(छ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र के लिए राष्ट्रीय प्राधिकारी को आवेदन करने की रीति;

(ज) धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन पुनर्चक्रण के लिए तैयार प्रमाणपत्र को जारी करने की रीति और रूपविधान;

(झ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित अनुज्ञा प्राप्त करने की रीति;

(ञ) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन पोत पुनर्चक्रण सुविधा को प्राधिकृत करने के लिए प्राधिकारी;

(ट) धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (ii) के अधीन पोत के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज;

(ठ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन प्रवेश के लिए सुरक्षित और हॉटवर्क के लिए सुरक्षित या दोनों के लिए शर्त;

(ड) धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा स्वीकृति का कथन जारी करने का प्ररूप और रीति;

(ढ) धारा 21 के खंड (ख) के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा अनुपालन किए जाने वाली, परिसंकटमय सामग्री को हटाए जाने और उसके प्रबंधन तथा आधारिक अवसंरचना से संबंधित अपेक्षाएं;

(ण) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा तेल फैलने की दशा में पोत पुनर्चक्रक को नोटिस के तामील की रीति;

(त) धारा 23 के अधीन पोत पुनर्चक्रक द्वारा पुनर्चक्रण समापन का कथन प्रस्तुत करने की रीति; और

(थ) कोई अन्य विषय जो विनियमों द्वारा अपेक्षित या विनिर्दिष्ट किया जाए।

44. केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम और इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय प्राधिकारी द्वारा बनाए गए प्रत्येक विनियम उनके बनाए जाने के शीघ्र पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में नियमों और विनियमों का रखा जाना।

हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, तथा नियम या विनियम के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

45. इस अधिनियम के उपंबधों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकारी या सक्षम प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय प्राधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

46. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेशों द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा;

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 1)

[13 मार्च, 2020]

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह 28 दिसम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2016 का 31 **2**. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में, — धारा 5 का संशोधन।

(i) खंड (12) में परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (15) में, ''दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि के दौरान समाधान वृत्तिक द्वारा लिया गया कोई वित्तीय ऋण'' शब्दों के पश्चात्, ''और ऐसा अन्य ऋण, जो अधिसूचित किया जाए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की अपधारा (1) में स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु धारा 21 की उपधारा (6क) के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदारों के लिए निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी वर्ग के ऐसे कम से कम एक सौ लेनदारों या उसी वर्ग के ऐसे लेनदारों की कुल संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा:

परंतु यह और कि ऐसे वित्तीय लेनदारों के लिए, जो किसी भू-संपदा परियोजना के अधीन आबंटिती हैं निगमित ऋणी के विरुद्ध, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कम से कम एक सौ आबंटितियों या उसी भू-संपदा परियोजना के अधीन ऐसे कुल आबंटितियों की संख्या के कम से कम दस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, द्वारा संयुक्तत: फाइल किया जाएगा:

परंतु यह भी कि जहां किसी निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए कोई आवेदन पहले और दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वित्तीय लेनदार द्वारा फाइल किया गया है और उसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2020 के प्रारंभ से पूर्व न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है, वहां ऐसा आवेदन उक्त अधिनियम के प्रारंभ के तीस दिन के भीतर, पहले या दूसरे परंतुक की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए उपांतरित किया जाएगा, जिसके न हो सकने पर ऐसा आवेदन उसके स्वीकार किए जाने से पूर्व वापस लिया गया समझा जाएगा।"।

धारा 11 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 11 में, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 2—**इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस धारा में की कोई बात खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी निगमित ऋणी को किसी अन्य निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया आरंभ करने से निवारित नहीं करेगी।"।

धारा 14 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में, —

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण—**इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन गठित सेक्टरीय विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसा ही अनुदान या अधिकार का प्रदान किया जाना, दिवाला के आधारों पर इस शर्त के अधीन रहते हुए निलंबित या पर्यवसित नहीं किया जाएगा कि अधिस्थगन अवधि के दौरान अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र, रजिस्ट्रीकरण, कोटा, रियायत, समाशोधन या वैसे ही अनुदान या अधिकार के उपयोग या उसके बने रहने के कारण उद्भूत होने वाले चालू शोध्यों के संदाय में कोई व्यतिक्रम नहीं किया गया है;";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां यथास्थिति, अंतरिम समाधान वृत्तिक या समाधान वृत्तिक, निगमित ऋणी के मूल्य को संरक्षित और परिरक्षित करने के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय को तथा ऐसे निगमित ऋणी की संक्रियाओं का चालू समुत्थान के रूप में प्रबंध करने को संकटपूर्ण समझता है तो ऐसे माल या सेवाओं का प्रदाय अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके जहां ऐसे निगमित ऋणी ने अधिस्थगन अवधि के दौरान या ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्रदाय से उद्भूत होने वाले शोध्यों का संदाय नहीं किया है।";

(ग) उपधारा (3) में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) ऐसे संव्यवहार, करार, अन्य ठहराव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, किसी वित्तीय सेक्टर विनियामक या किसी अन्य प्राधिकारी के परामर्श से अधिसूचित किए जाएं;''।

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, ''दिवाला प्रारंभ की तारीख से चौदह दिन के भीतर'' शब्दों के स्थान पर, ''दिवाला प्रारंभ की तारीख को'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 16 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में, ''इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसे संव्यवहार, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 21 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 23 का संशोधन।

''परंतु समाधान वृत्तिक, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि की समाप्ति के पश्चात्, निगमित ऋणी की संक्रियाओं का प्रबंध तब तक करता रहेगा, जब तक धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन समाधान योजना का अनुमोदन करने वाला का धारा 34 के अधीन समापक की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं कर दिया जाता है।''।

9. मूल अधिनियम की धारा 29क में,— धारा 29क का संशोधन।

(i) खंड (ग) के दूसरे परंतुक के स्पष्टीकरण 1 में, ''इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों'' शब्दों के पश्चात, ''या ऐसे संव्यवहारों, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ञ) के दूसरे परंतुक में, ''इक्विटी शेयरों में संपरिवर्तनीय लिखतों'' शब्दों के पश्चात्, ''या ऐसे संव्यवहार, जो विहित किए जाएं, के पूरे हो जाने पर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

10. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 32क का अंत:स्थापन।

''32क. (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए निगमित ऋणी का दायित्व समाप्त हो जाएगा और निगमित ऋणी धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा समाधान योजना के अनुमोदित किए जाने की तारीख से ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जाएगा, यदि समाधान योजना किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में परिवर्तन का परिणाम होती है,— पूर्व में किए गए अपराधों के लिए दायित्व, आदि।

(क) जो संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबंधित पक्षकार नहीं था; या

(ख) जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र रचा था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है:

परंतु यदि कोई अभियोजन ऐसे निगमित ऋणी के विरुद्ध निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान संस्थित किया गया था तो वह इस उपधारा की अपेक्षाओं के पूरा किए जाने के अध्यधीन समाधान योजना के अनुमोदन की तारीख से उन्मोचित हो जाएगा:

2009 का 6
2013 का 18

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथा परिभाषित ''अभिहित भागीदार'' था, या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (60) में यथा परिभाषित ''अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है'' या अपने कारबार के संचालन के लिए किसी भी रीति में निगमित ऋणी का भारसाधक था या उसके प्रति उत्तरदायी था, या किसी भी रीति में

निगमित ऋणी के साथ सहयुक्त था और जो अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट या फाइल की गई शिकायत के अनुसार ऐसे अपराध के किए जाने में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: संलिप्त था, इस बात के होते हुए भी कि निगमित ऋणी का दायित्व इस उपधारा के अधीन समाप्त हो गया है, निगमित ऋणी द्वारा किए गए ऐसे अपराध के लिए अभियोजित किए जाने और दंडित किए जाने के लिए दायी बना रहेगा।

(2) निगमित ऋणी की निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए ऐसे अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध वहां कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहां ऐसी संपत्ति धारा 31 के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अधीन नहीं आती है, जिसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए निगमित ऋणी के नियंत्रण में या ऐसे व्यक्ति के लिए इस संहिता के भाग 2 के अध्याय 3 के उपबंधों के अधीन समापन आस्तियों के विक्रय में परिवर्तन है जो, —

(i) संप्रवर्तक नहीं था या निगमित ऋणी के प्रबंधन या नियंत्रण में नहीं था या ऐसे व्यक्ति का संबध पक्षकार नहीं था; या

(ii) ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके संबंध में सुसंगत अन्वेषण प्राधिकारी के पास उसके कब्जे में सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है या कि उसने अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण किया था या षड्यंत्र किया था और सुसंगत कानूनी प्राधिकारी या न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है या उसके पास शिकायत फाइल कर दी है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि, —

(i) ऐसे किसी अपराध के संबंध में निगमित ऋणी की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई में ऐसी विधि के अधीन, जो निगमित ऋणी को लागू हो, ऐसी संपत्ति की कुर्की, अभिग्रहण, प्रतिधारण या जब्ती सम्मिलित होगी;

(ii) इस उपधारा में किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह निगमित ऋणी या किसी ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध किसी कार्रवाई को वर्जित करने के लिए है, जिसने इस संहिता के अधीन निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया या समापन प्रक्रिया के माध्यम से ऐसी संपत्ति का अर्जन किया है और वह इस धारा में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करता है, जिसके विरुद्ध ऐसी कोई कार्रवाई ऐसी विधि के अधीन जो लागू हो की जा सकेगी।

(3) अपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस धारा में प्रदत्त उन्मुक्ति के होते हुए भी निगमित ऋणी और ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे ऐसे निगमित ऋणी या व्यक्ति को ऐसी विधि के अधीन जो लागू हो, सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाए, निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी अपराध का अन्वेषण करने वाले किसी प्राधिकारी को सभी सहायता और सहयोग देगा।''।

धारा 227 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 227 में, —

(i) ''इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी'' शब्दों के स्थान पर, ''इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि वित्तीय सेवा प्रदाताओं या वित्तीय सेवा प्रदाताओं के प्रवर्गों के लिए दिवाला और समापन कार्यवाहियां, ऐसे उपांतरणों सहित और ऐसी रीति में, जो विहित की जाएं, संचालित की जाएंगी।''।

धारा 239 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(चक) धारा 21 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार;

(चख) धारा 29क के खंड (ग) के स्पष्टीकरण 1 के अधीन संव्यवहार;

(चग) धारा 29क के खंड (ञ) के दूसरे परंतुक के अधीन संव्यवहार;''।

13. मूल अधिनियम की धारा 240 की उपधारा (2) के खंड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 240 का संशोधन।

''(झक) वे परिस्थितियां, जिनमें महत्वपूर्ण माल या सेवाओं का प्रदाय, धारा 14 की उपधारा (2क) के अधीन अधिस्थगन की अवधि के दौरान पर्यवसित, निलंबित या विच्छिन्न किया जा सकेगा; ''

2019 का अध्यादेश संख्यांक 16 **14.** (1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का 31 2016 के अधीन कही गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 2)

[13 मार्च, 2020]

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और प्रवर्तन।

(2) यह 10 जनवरी, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

(3) इस अधिनियम द्वारा किए गए संशोधनों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह राष्ट्रपति के अनुमति की तारीख से साठ दिन की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा और उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् निरसित हुआ समझा जाएगा।

अध्याय 2

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 का संशोधन

नई धारा 4ख का अंत:स्थापन।

2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— 1957 का 67

उत्पादन में दक्षता हेतु शर्तें।

''4ख. धारा 4क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार देश में खनिजों का अविरत उत्पादन बनाए रखने के हित में ऐसी शर्तें विहित कर सकेगी जो ऐसे खनन पट्टा धारकों द्वारा, जिन्होंने धारा 8ख के अधीन अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति इत्यादि अर्जित किए हैं, उत्पादन प्रारंभ करने और जारी रखने के लिए आवश्यक हों।''।

धारा 5 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह और कि प्रथम अनुसूची के भाग क में विनिर्दिष्ट खनिजों की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा अनुदत करने के लिए केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन वहां अपेक्षित नहीं होगा जहां,—

(i) कोई आबंटन आदेश धारा 11क के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किया गया है; या

(ii) क्षेत्र के आरक्षण की कोई अधिसूचना, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा धारा 17क की उपधारा (1क) या उपधारा (2) के अधीन जारी की गई है; या

(iii) कोई निधान आदेश या कोई आबंटन आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया है।''। 2015 का 11

धारा 8क का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, राज्य सरकारों को पट्टा कालावधि के अवसान के पूर्व खनन पट्टे की नीलामी के लिए अग्रिम कार्रवाई करने से निवारित नहीं करेगी।''।

नई धारा 8ख का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कानूनी अनापत्तियों के अंतरण के लिए उपबंध।

''8ख. (1) इस धारा के उपबंध, प्रथम अनुसूची के भाग क और भाग ख में विनिर्दिष्ट खनिजों से भिन्न, खनिजों को लागू होंगे।

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उपधारा (5) और उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टों के सफल बोली लगाने वाले और इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित बोली लगाने वाले में सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए वैसे ही निहित समझे जाएंगे जैसे पूर्व पट्टाधारी में थे:

परंतु ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाएं, ऐसा नया पट्टाधारी ऐसा नया पट्टा अनुदत्त करने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर सभी आवश्यक अधिकार, अनुमोदन, अनापत्ति, अनुज्ञप्ति इत्यादि के लिए आवेदन करेगा और उन्हें प्राप्त करेगा।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नया पट्टा प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक, नए पट्टाधारी के लिए ऐसी भूमि पर खनन संक्रियाएं जारी रखना विधिपूर्ण होगा जिस पर पूर्व पट्टाधारी खनन संक्रियाएं कर रहा था।''।

धारा 10ग का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10ग की उपधारा (2) में, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु गैर-समाविष्ट भूमीक्षण अनुज्ञापत्र धारक, जो गहराई में स्थित खनिजों या ऐसे खनिजों के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, विहित स्तर पर खोज करता है, राज्य सरकार को

धारा 11 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा या धारा 10ख के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कोई खनन पट्टा अनुदत्त करने के लिए आदेवन प्रस्तुत कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार, ऐसे खनिजों के भूमीक्षण और पूर्वेक्षण संक्रियाओं में बढ़ोतरी की दृष्टि से ऐसी प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के पैरामीटर भी है, विहित करेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''गहराई में स्थित खनिजों'' से ऐसे खनिज, जो खराब सतह प्रकटता वाली, भूमि की सतह से तीन सौ मीटर से अधिक की गहराई पर हों, अभिप्रेत हैं।''।

7. मूल अधिनियम की धारा 11क में,— धारा 11क का संशोधन।

(i) पार्श्वशीर्ष में ''या खनन पट्टे'' शब्दों के पश्चात् ''या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में,—

(क) आरंभिक भाग में ''किसी क्षेत्र के संबंध में जिसमें कोयला या लिग्नाइट अंतर्विष्ट है भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा या कोयला या लिग्नाइट के संबंध में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:—

''कोयला या लिग्नाइट भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं का घरेलू उपभोग, विक्रय या अन्य किसी प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए।'';

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली के द्वारा नीलामी कोयला या लिग्नाइट को वहां लागू नहीं होगी जहां—

(क) ऐसे क्षेत्र पर किसी सरकारी कंपनी या निगम या यथास्थिति, ऐसी कंपनी या निगम द्वारा या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बीच बनाई गई किसी सह-उद्यम कंपनी को घरेलू उपभोग, विक्रय या अन्य ऐसे किसी प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है;

(ख) जहां ऐसे क्षेत्र पर किसी कंपनी या निगम को, जिसे टैरिफ के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर कोई विद्युत परियोजना (जिसके अंतर्गत अति बृहत विद्युत परियोजनाएं भी हैं) मंजूर की गई है, आबंटित करने के लिए विचार किया जाता है।'';

(iii) उपधारा (3) में,—

(क) ''खनन पट्टा'' शब्दों के पश्चात् ''या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) ''प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से या अन्यथा'' शब्दों के स्थान पर ''प्रतिस्पर्धी बोली या आबंटन के माध्यम से'' शब्द रखे जाएंगे।

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में,— धारा 13 का संशोधन।

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(कक) धारा 4ख के अधीन खनन पट्टे के धारकों द्वारा उत्पादन को आरंभ करने और जारी रखने के लिए ऐसी शर्तें जो आवश्यक हों;

(कख) धारा 8ख की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन सभी आवश्यक अधिकारों, अनुमोदनों, अनापत्तियों, अनुज्ञप्तियों इत्यादि को अभिप्राप्त करने के लिए नए पट्टेदार द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें;

(कग) धारा 10ग की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन गहराई में स्थित खनिज या ऐसे खनिज और प्रक्रिया की बाबत खोज का स्तर जिसके अंतर्गत धारकों के चयन के लिए बोली लगाने के लिए पैरामीटर भी है;'';

(ii) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएंगे, अर्थात्:—

''(घ) कोयला या लिग्नाइट की बाबत प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी और आबंटन के निबंधन, शर्तें और प्रक्रिया;

(घक) कोयला या लिग्नाइट की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा मंजूर करने के लिए विनियम;

(घख) खानों और उसके अवस्थानों के ब्यौरे, ऐसी खानों का न्यूनतम आकार और ऐसी अन्य शर्तें जो कोयला या लिग्नाइट भूमीक्षण, पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाओं के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो;

(घग) कोयला या लिग्नाइट का उपयोग जिसके अंतर्गत किसी कंपनी द्वारा विक्रय के लिए खनन भी है;''।

धारा 17क का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (2क) के परंतुक में ''भाग क और'' शब्दों और अक्षर का लोप किया जाएगा।

अध्याय 3

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का संशोधन

धारा 4 का संशोधन।

10. कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में,— 2015 का 11

(i) उपधारा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, ''ऐसे क्षेत्र की बाात, जिसमें कोयला हो, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खननर पट्टा'', शब्दों के स्थान पर ''भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा या कोयला की बाबत पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) दीर्घ पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित दीर्घ पंक्ति रखी जाएगी, अर्थात्:—

''कोयला भूमीक्षण या पूर्वेक्षण या खनन संक्रियाएं स्वयं के उपभोग, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए और राज्य सरकार द्वारा ऐसी कंपनी को जो इस धारा के अधीन प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से स्वयं के लिए चयन की जाए, अनुसूची 1 की कोयला खान की बाबत ऐसा भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा मंजूर करेगी।'';

(ii) उपधारा (3) का लोप किया जाएगा।

धारा 5 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) में,—

(i) ''उपधारा (1) और उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर ''उपधारा (1) और उपधारा (2)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) ''किसी ऐसे क्षेत्र की बाबत, जिसमें कोयला है, भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी अनुसूची 1 की कोयला खान की बाबत भूमीक्षण अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्ट या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(iii) पहले परंतुक में, ''यथास्थिति, अनुज्ञापत्र, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अनुसार किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''किसी भी रूप में स्वयं के उपभोग के लिए, विक्रय के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए'' शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल अधिनियम की धारा 8 में,— धारा 8 का संशोधन।

(i) उपधारा (4) के खंड (ख) में ''खनन पट्टे'' शब्दों के स्थान पर ''यथास्थिति, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टे या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (8) में ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे'' शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (9) में ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा'' शब्दों के स्थान पर ''पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (12) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

''(13) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निधान आदेश या आबंटन आदेश को समाप्त किया जा सकेगा।

(14) निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति पर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी धारा 4 के अधीन कोयला खान की नीलामी कर सकेगा या धारा 5 के अधीन कोयला खान का आबंटन कर सकेगा जैसा केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(15) कोयला खान के ऐसे सफल बोली लगाने वाले या आबंटिती को, जिनका निधान आदेश या आबंटन आदेश समाप्त हो गया है, उक्त कोयला खान को ठीक अगली नीलामी या आबंटन के प्रयोजन के लिए पूर्विक आबंटिती समझा जाएगा।''।

13. मूल अधिनियम की धारा 9 में,— धारा 9 का संशोधन।

(i) आरंभिक भाग में ''अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि'' शब्द से आरंभ होने वाले और ''संवितरित किए जाएंगे'' शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

''अनुसूची 1 कोयला खान के संबंध में भूमि और खान अवसंरचना के लिए धारा 16 के अनुसार यथा मूल्यांकित प्रतिकर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के पास सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती द्वारा जमा किया जाएगा और उसे अन्य बातों के साथ-साथ सुसंगत विधियों और ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, संदायों की निम्नलिखित पूर्विकता बनाए रखते हुए संवितरित किया जाएगा।'';

(ii) खंड (ख) में ''संदेय प्रतिकर'' शब्दों के स्थान पर ''संदेय रकम'' शब्द रखे जाएंगे।

14. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में, ''अनुसूची 1 कोयला खानों की नीलामी या आबंटन पूरा नहीं होता है'' शब्दों और अंकों के स्थान पर ''अनुसूची 2 कोयला खानों का आबंटन पूरा नहीं होता है, या इस अधिनियम के अधीन जारी किया गया निधान आदेश या आबंटन आदेश उत्पादन के अधीन कोयला खान के मामले में समाप्त हो गया हो'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 20 में,— धारा 20 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में ''सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती या कोयला अनुबंध धारक'' शब्दों के स्थान पर ''सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) सफल बोली लगाने वाला या आबंटिती, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी विशिष्ट अनुसूची 1 कोयला खान से वैसे ही विनिर्दिष्ट अंतिम उपयोग में लगे उसके किन्हीं संयंत्रों या उसके समनुषंगी संयंत्रों या नियंत्री कंपनी के लिए भी कोयला खान का उपयोग कर सकेगा।"।

धारा 31 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में,—

(i) खंड (ख) में "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टा" शब्दों के स्थान पर "पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति, खनन पट्टा या पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा" खब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ठ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ठक) धारा 8 की उपधारा (13) के अधीन निधान आदेश या आबंटन आदेश की समाप्ति की रीति;"।

निरसन और व्यावृत्ति।

17. (1) खनिज विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को निरसित किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं॰ 1

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन, की गई समझी जाएगी।

प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 3)

[17 मार्च, 2020]

विवादित कर के समाधान के लिए और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम।

2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

'(क) ''अपीलार्थी'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में या तो उसके द्वारा या आय-कर प्राधिकारी द्वारा या दोनों के द्वारा, अपील मंच के समक्ष कोई अपील या कोई रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की गई है और ऐसी अपील या याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है;

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया है या आयुक्त (अपील) या आय-कर अपील अधिकरण द्वारा किसी अपील में या उच्च न्यायालय द्वारा किसी रिट याचिका में आदेश पारित किया गया है और उस व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है;

(iii) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष अपने आक्षेप फाइल किए हैं और विवाद समाधान पैनल के विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई निदेश जारी नहीं किया है; 1961 का 43

(iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके मामले में विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने उस धारा की उपधारा (13) के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया है;

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन फाइल किया है और ऐसा आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है;

(ख) ''अपील मंच'' से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) अभिप्रेत है;

(ग) ''घोषणाकर्ता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो धारा 4 के अधीन घोषणा फाइल करता है;

(घ) ''घोषणा'' से धारा 4 के अधीन फाइल की गई घोषणा अभिप्रेत है;

(ङ) ''अभिहित प्राधिकारी'' से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रधान मुख्य आयुक्त द्वारा अधिसूचित आय-कर आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का और कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) ''विवादित फीस'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अवधारित ऐसी फीस अभिप्रेत है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा अपील फाइल की गई है; 1961 का 43

(छ) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में ''विवादित आय'' से संपूर्ण आय या कुल आय का उतना भाग अभिप्रेत है, जो विवादित कर से संबंधित है;

(ज) ''विवादित ब्याज'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी दशा में अवधारित ब्याज अभिप्रेत है, जहां,— 1961 का 43

(i) ऐसा ब्याज, विवादित कर पर प्रभारित या प्रभार्य नहीं है;

(ii) ऐसे ब्याज के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है;

(झ) ''विवादित शास्ति'' से आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन किसी भी मामले में अवधारित शास्ति अभिप्रेत है, जहां,— 1961 का 43

(i) ऐसी शास्ति, यथास्थिति, विवादित आय या विवादित कर के संबंध में उद्गृहीत या उद्ग्रहणीय नहीं है;

(ii) ऐसी शास्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई अपील फाइल की गई है;

(ञ) यथास्थिति, किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के संबंध में ''विवादित कर'' से ऐसा आय-कर अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन अपीलार्थी द्वारा संदेय अधिभार और उपकर (जिसे इस खंड में इसके पश्चात् कर की रकम कहा गया है) भी है, जिसे नीचे संगणित किया गया है,— 1961 का 43

(क) उस मामले में, जहां कोई अपील, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका विनिर्दिष्ट तारीख को अपील मंच के समक्ष लंबित है, वहां कर की ऐसी रकम, जो अपीलार्थी द्वारा तब संदेय

है, यदि ऐसी अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका का विनिश्चय उसके विरुद्ध किया जाना था;

(ख) उस मामले में, जहां किसी अपील में या रिट याचिका में आदेश अपील मंच द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व पारित कर दिया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील या विशेष अनुमति याचिका फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है, वहां इस प्रकार पारित आदेश को प्रभावी करने के पश्चात्, अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(ग) उस मामले में, जहां आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व पारित किया गया है और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील फाइल करने के लिए समय उस तारीख को समाप्त नहीं हुआ है, वहां ऐसे आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(घ) उस मामले में, जहां अपीलार्थी द्वारा फाइल किया गया आक्षेप आय-कर अधिनियम की धारा 144ग के अधीन विवाद समाधान पैनल के समक्ष विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित हैं, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि विवाद समाधान पैनल को प्रारूप आदेश में प्रस्तावित फेरफार की पुष्टि करनी थी;

(ङ) उस मामले में, जहां विवाद समाधान पैनल ने आय-कर अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन कोई निदेश जारी किया है और निर्धारण अधिकारी ने विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व उस धारा की उपधारा (13) के अधीन आदेश पारित नहीं किया है, वहां उस धारा की उपधारा (13)के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले निर्धारण आदेश के अनुसार अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम;

(च) उस मामले में, जहां आय-कर अधिनियम की धारा 264 के अधीन पुनरीक्षण के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट तारीख को लंबित है, वहां अपीलार्थी द्वारा संदेय कर की रकम, यदि पुनरीक्षण के लिए ऐसा आवेदन स्वीकार नहीं किया जाना था:

परंतु उस मामले में, जहां आयुक्त (अपील) ने आय-कर अधिनियम की धारा 251 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व वृद्धि की सूचना जारी की है, वहां विवादित कर में, उन मुद्दों, जिनके लिए वृद्धि की सूचना जारी की गई है, से संबंधित कर की रकम बढ़ जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में, जहां किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में विवाद, आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक या धारा 115घ के अधीन कर प्रत्यय की कटौती या तद्धीन संगणित किसी हानि या अवक्षयण से संबंधित है, वहां अपीलार्थी के पास ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को विवादित कर की रकम में सम्मिलित करने का या ऐसे घटाए गए कर प्रत्यय या हानि या अवक्षयण को अग्रनीत करने का विकल्प होगा;

1961 का 43 (ट) ''आय-कर अधिनियम'' से आय-कर अधिनियम, 1961 अभिप्रेत है;

(ठ) ''अंतिम तारीख'' से ऐसी तारीख अभिप्रेत है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में, अधिसूचित की जाए;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से 31 जनवरी, 2020 अभिप्रेत है;

(ण) ''कर बकाया'' से आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन यथा अवधारित निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम; या

(ii) विवादित ब्याज; या

(iii) विवादित शास्ति; या

(iv) विवादित फीस।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो क्रमश: उनके उस अधिनियम में हैं।

घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम।

3. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई घोषणाकर्ता, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्तिम तारीख को या उससे पूर्व अभिहित प्राधिकारी के पास धारा 4 के उपबंधों के अनुसार कर बकाया के संबंध में कोई घोषणा फाइल करता है, वहां आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घोषणाकर्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम निम्नानुसार होगी, अर्थात्:—

क्र॰ सं॰	कर बकाया की प्रकृति	31 मार्च, 2020 को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम	1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किंतु अंतिम तारीख को या उससे पहले इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम
(क)	जहां कर बकाया, विवादित कर, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम है।	विवादित कर की रकम।	विवादित कर की रकम या योग और विवादित कर का दस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का दस प्रतिशत, ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्गृहीत शास्ति की कुल रकम के योग से अधिक है, वहां इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(ख)	जहां कर बकाया में आय-कर अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन तलाशी के आधार पर किसी निर्धारण में अवधारित कर, ब्याज या शास्ति भी सम्मिलित है।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का पच्चीस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का पच्चीस प्रतिशत ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज की और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की रकम के योग से अधिक है, वहां इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।	विवादित कर की रकम का योग और विवादित कर का पैंतीस प्रतिशत: परंतु जहां विवादित कर का पैंतीस प्रतिशत ऐसे विवादित कर पर प्रभार्य या प्रभारित ब्याज की और ऐसे विवादित कर पर उद्ग्रहणीय या उद्ग्रहीत शास्ति की रकम के योग से अधिक है, वहां संदेय रकम की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे आधिक्य पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।
(ग)	जहां कर बकाया का संबंध विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस से है।	विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस का पच्चीस प्रतिशत।	विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस का तीस प्रतिशत।

परंतु उस मामले में, जहां आय-कर प्राधिकारी द्वारा किसी मुद्दे पर अपील मंच के समक्ष कोई अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका फाइल की जाती है वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी:

परंतु यह और कि उस मामले में, जहां अपील, आयुक्त (अपील) के समक्ष फाइल की जाती है या अपीलार्थी द्वारा किसी ऐसे मुद्दे पर विवाद समाधान पैनल के समक्ष आक्षेप फाइल किया जाता है, जिस पर उसने आय-कर अपील अधिकरण से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है, (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय का उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) या उच्च न्यायालय (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय का उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी:

परंतु यह भी कि उस मामले में, जहां अपील किसी ऐसे मुद्दे पर,अपीलार्थी द्वारा आय-कर अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की जाती है, जिस पर उसने उच्च न्यायालय से अपने पक्ष में विनिश्चय पहले ही प्राप्त कर लिया है (जहां ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय को उच्चतम न्यायालय द्वारा उलट नहीं दिया जाता है) वहां संदेय रकम, ऐसे मुद्दे पर ऊपर सारणी में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संगणित रकम का आधा होगी।

घोषणा फाइल करना और विशिष्टियों का दिया जाना।

4. (1) घोषणाकर्ता द्वारा धारा 3 में निर्दिष्ट घोषणा, अभिहित प्राधिकारी के समक्ष, ऐसे प्ररूप में फाइल की जाएगी और ऐसी रीति में सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

(2) घोषणा फाइल किए जाने पर, विवादित आय या विवादित ब्याज या विवादित शास्ति या विवादित फीस और कर बकाया के संबंध में आय-कर अपील अधिकरण या आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित कोई अपील, उस तारीख से, जिसको धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वापस ले ली गई समझी जाएगी।

(3) जहां घोषणाकर्ता ने कर बकाया के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध अपील मंच के समक्ष कोई अपील या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई रिट याचिका फाइल की है, वहां वह न्यायालय की अनुमति से, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् जहां कहीं अपेक्षित हो, ऐसी अपील या रिट याचिका को वापस ले लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(4) जहां घोषणाकर्ता ने माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत के बाहर राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो अन्यथा, कोई सूचना दी है, वहां वह धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् ऐसी कार्यवाहियों में किसी दावे, यदि कोई हो या सूचना को वापस लेगा और धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन अभिहित प्राधिकारी को संदाय की सूचना के साथ ऐसी वापसी का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(5) उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, घोषणाकर्ता, ऐसे कर बकाया के संबंध में, जो कानून के अधीन या भारत सरकार द्वारा भारत के बाहर किसी देश या किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा, के अधीन उपचार या किसी दावे की ईप्सा या उसे अग्रसर करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने अधिकार को त्याग देगा और वचनबंध, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में दिया जाएगा, जो विहित की जाए।

(6) यह उपधारणा की जाएगी कि उपधारा (1) के अधीन घोषणा कभी नहीं की गई है, यदि,—

(क) घोषणा में दी गई कोई तात्त्विक विशिष्टि किसी प्रक्रम पर गलत पाई जाती है;

(ख) घोषणाकर्ता इस अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का अतिक्रमण करता है;

(ग) घोषणाकर्ता ऐसी रीति में कार्य करता है, जो उपधारा (5) के अधीन उसके द्वारा दिए गए वचनबंध के अनुसार नहीं है,

और ऐसे मामलों में, आय-कर अधिनियम के अधीन उन सभी कार्यवाहियों और दावों को, जिन्हें धारा 4 के अधीन वापस ले लिया गया था, तथा घोषणाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामों को, पुन: प्रवर्तित किया गया समझा जाएगा।

(7) कोई भी अपील मंच या माध्यस्थ, सुलहकार या मध्यक घोषणा में उल्लिखित किसी कर बकाया से संबंधित और जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश किया गया है या उस धारा के अधीन अवधारित राशि के संदाय से संबंधित किसी विवाद्यक को विनिश्चित करने की कार्यवाही नहीं करेगा।

संदाय का समय और रीति।

5. (1) अभिहित प्राधिकारी, घोषणा की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम को अवधारित करेगा और घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र, कर बकाया की विशिष्टियों को और उसमें ऐसे अवधारण के पश्चात्, संदेय राशि को उसमें उपवर्णित करते हुए अनुदत्त करेगा।

(2) घोषणाकर्ता, अभिहित प्राधिकारी को, प्रमाणपत्र की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उपधारा (1) के अधीन अवधारित रकम का संदाय करेगा और उसे ऐसे संदाय के ब्यौरे, विहित प्ररूप में सूचित करेगा तथा तत्पश्चात् अभिहित प्राधिकारी एक आदेश यह कथन करते हुए पारित करेगा कि घोषणाकर्ता ने रकम का संदाय कर दिया है।

(3) इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम को अवधारित करते हुए, उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश, उसमें कथित विषयों के संबंध में निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय पर आय-कर अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भारत द्वारा किसी अन्य देश के साथ या भारत से बाहर किसी राज्यक्षेत्र के साथ किए गए करार के अधीन, कोई कार्यवाही चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए हो या अन्यथा पुन: आरंभ नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन घोषणा करना, कर स्थिति को स्वीकार करने की कोटि में नहीं आएगा और यह ऐसे आय-कर प्राधिकारी या घोषणाकर्ता, जो प्रतिवाद करने के लिए अपील या रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका में पक्षकार है, के लिए विधिपूर्ण नहीं होगा कि, यथास्थिति, घोषणाकर्ता या आय-कर प्राधिकारी ने विवाद को निपटाकर विवादित मुद्दे पर हुए विनिश्चय में अपनी मौन स्वीकृति दे दी है।

कतिपय मामलों में अपराध संबंधी कार्यवाहियां आरंभ करने और शास्ति अधिरोपित करने से उन्मुक्ति।

6. अभिहित प्राधिकारी, धारा 5 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कर बकाया के संबंध में, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में काई कार्यवाही संस्थित नहीं करेगा; या कोई शास्ति अधिरोपित या उद्गृहीत नहीं करेगा; या कोई ब्याज प्रभारित नहीं करेगा।

संदत्त रकम का कोई प्रतिदाय न होना।

7. धारा 4 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त किसी रकम का किसी भी परिस्थिति में प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां घोषणाकर्ता ने धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा फाइल करने से पूर्व, आय-कर अधिनियम के अधीन किसी ऐसी रकम का संदाय किया था, जिसके संबंध में कर बकाया धारा 3 के अधीन संदेय रकम से अधिक है, वहां वह ऐसी अधिक रकम के प्रतिदाय के लिए हकदार होगा, किंतु वह आय-कर अधिनियम की धारा 244क के अधीन ऐसी अधिक रकम पर ब्याज के लिए हकदार नहीं होगा।

घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति न देना।

8. धारा 5 की उपधारा (3) या धारा 6 में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात का अर्थ घोषणाकर्ता के संबंध में की जाने वाली कार्यवाहियों से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में घोषणाकर्ता को कोई फायदा, छूट या उन्मुक्ति प्रदान करने के रूप में नहीं लगाया जाएगा।

कतिपय मामलों में अधिनियम का लागू न होना।

9. इस अधिनियम के उपबंध,—

(क) किसी कर बकाया के संबंध में,—

(i) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में जिसकी बाबत आय-कर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) या धारा 144 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण आय-कर

अधिनियम की धारा 132 या धारा 132क के अधीन आरंभ की गई तलाशी के आधार पर कर दिया गया है, यदि विवादित कर की रकम पांच करोड़ रुपए से अधिक है, के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ii) किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में, जिसकी बाबत घोषणा फाइल करने की तारीख को या उससे पूर्व कोई अभियोजन संस्थित कर दिया गया है, लागू नहीं होंगे;

(iii) भारत से बाहर अवस्थित किसी स्रोत से अप्रकटित किसी आय या भारत से बाहर अवस्थित अप्रकटित आस्ति से किसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(iv) आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क में निर्दिष्ट किसी करार, यदि वह किसी कर बकाया से संबंधित है, के अधीन प्राप्त सूचना के आधार पर किए गए किसी निर्धारण या पुन:निर्धारण के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ख) घोषणा फाइल करने पर या उसके पूर्व किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर विदेशी मुद्रा
1974 का 52 संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अधीन निरोध आदेश किया गया है, लागू नहीं होंगे:

परंतु,—

(i) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12क के उपबंध लागू नहीं होते हैं, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहृत नहीं किया गया है; या

(ii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, को उसके लिए अवधि के अवसान से पूर्व या धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर प्रतिसंहृयत नहीं किया गया है; या

(iii) निरोध का ऐसा आदेश, जो ऐसा कोई आदेश है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 12क के उपबंध लागू होते हैं, को उस धारा की उपधारा (3) के अधीन पहले पुनर्विलोकन के लिए, अवधि के अवसान से पूर्व या उसके आधार पर या उक्त अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (6) के साथ पठित धारा 8 के अधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिसंहृयत नहीं किया गया है; या

(iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा अपास्त नहीं किया गया है;

1967 का 37 (ग) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967,
1985 का 61 स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, धन-शोधन
1988 का 49 निवारण अधिनियम, 2002, बेनामी संपति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अधीन
2003 का 15 दंडनीय किसी अपराध के लिए अभियोजन घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व संस्थित कर दिया गया
1988 का 45 है या ऐसे व्यक्ति को किसी ऐसे किसी दंडनीय अपराध के लिए, इन अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे;

1860 का 45 (घ) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके संबंध में भारतीय दंड संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए या घोषणा फाइल करने पर या उसके पूर्व तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी सिविल दायित्व के प्रवर्तन के प्रयोजन के प्रयोजन के लिए, आय-कर प्राधिकारी द्वारा अभियोजन आरंभ कर दिया गया है या ऐसा व्यक्ति, आय-कर प्राधिकारी द्वारा आरंभ किए गए अभियोजन के परिणामस्वरूप किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, के संबंध में लागू नहीं होंगे;

(ङ) घोषणा फाइल करने पर या उससे पूर्व विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण)
1992 का 27 अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होंगे।

बोर्ड की निदेश, आदि जारी करने की शक्ति।

10. (1) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर प्राधिकारियों को, समय-समय पर ऐसे निदेश या आदेश जारी कर सकेगा, जो वह ठीक समझे:

परंतु ऐसा कोई निदेश या आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जो किसी अभिहित प्राधिकारी से किसी विशिष्ट मामले का किसी विशिष्ट रीति में निपटान करने की अपेक्षा करे।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बोर्ड, यदि इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो समय-समय पर, मामलों के किसी वर्ग के संबंध में इस अधिनियम से संबंधित किसी कार्य के लिए, जिसके अंतर्गत राजस्व का संग्रहण भी है, प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के संबंध में निदेश या अनुदेश उपवर्णित करते हुए, साधारण या विशेष आदेश जारी कर सकेगा और ऐसे आदेश जारी करेगा, यदि बोर्ड का यह मत हो कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, ऐसी तारीख से, जिसको इस अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 के अधीन वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन वह प्ररूप और रीति, जिसमें घोषणाकर्ता वचनबध देगा;

(ग) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जाएगा;

(घ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन वह प्ररूप, जिसमें संदाय की सूचना दी जाएगी;

(ङ) विवादित कर के अवधारण, जिसके अंतर्गत आय-कर अधिनियम की धारा 115ञकक या धारा 115ञघ के अधीन कर प्रत्यय को आगे ले जाने या अग्रनीत किए जाने के संबंध में मुजरा या आय-कर अधिनियम के उपबंधों के अधीन हानि या अवक्षयण की मोक को आगे ले जाने या अग्रनीत किए जाने के संबंध में मुजरा की रीति भी है;

(च) इस अधिनियम के अधीन संदेय रकम की संगणना करने की रीति;

(छ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसके संबंध में नियमों द्वारा उपबंध किए जाने हैं।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन के अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 20)

[24 सितम्बर, 2020]

ऐसे कृषि करारों पर जो निष्पक्ष और पारदर्शी रीति में पारस्परिक रूप से तय पाई गई लाभकारी कीमत रूपरेखा पर कृषि सेवाओं और भावी कृषि उत्पादों के विक्रय के लिए कृषि कारबार फर्मों, प्रसंस्करणकर्ताओं, थोक विक्रेताओं, निर्यातकों या बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं के साथ कृषकों का संरक्षण करते हैं और उनकों सशक्त करते हैं, राष्ट्रीय रूपरेखा का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं। **2.** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''एपीएमसी यार्ड'' से किसी भी राज्य अधिनियम के अधीन कृषि उत्पाद में बाजारों और व्यापार को विनियमित करने के लिए स्थापित किए गए कृषि उत्पाद विपणन समिति यार्ड को समाविष्ट करने वाले कोई भी भौतिक परिसर, चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

(ख) ''कंपनी'' से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कंपनी अभिप्रेत है; 2013 का 18

(ग) ''इलैक्ट्रानिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफॉर्म'' से इलैक्ट्रानिक युक्तियों और इंटरनेट अनुप्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से कृषि उत्पाद के व्यापार और वाणिज्य के संचालन के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित प्लेटफार्म अभिप्रेत है;

(घ) ''कृषि सेवाओं'' के अंतर्गत बीज, दाना, चारा, कृषि-रसायन, मशीनरी और प्रौद्योगिकी, सलाह, गैर-रसायन कृषि इनपुट और कृषि के लिए ऐसे अन्य इनपुट भी हैं;

(ङ) ''कृषक'' से स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषि उत्पाद के उत्पादन में लगा कोई व्यष्टि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन भी हैं;

(च) ''कृषक उत्पादक संगठन'' से कृषकों का ऐसा संगम या समूह चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है;

(छ) ''कृषि करार'' से ऐसा लिखित करार अभिप्रेत है जो किसी पूर्व अवधारित क्वालिटी के किसी भी कृषि उत्पाद के उत्पादन या उसे उगाने से पहले किसी कृषक और किसी प्रायोजक के बीच, या किसी कृषक, किसी प्रायोजक और किसी तीसरे पक्षकार के बीच किया गया है, जिसमें प्रायोजक, कृषक से ऐसे कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए तथा कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए करार करता है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''कृषि करार'' पद के अंतर्गत निम्नलिखित हो सकेंगे—

(i) ''व्यापार और वाणिज्य करार'' जहां वस्तु का स्वामित्व उत्पादन के दौरान कृषक के पास रहता है और वा प्रायोजक के साथ करार पाए गए निबंधनों अनुसार उत्पाद के परिदान पर उसकी कीमत प्राप्त करता है;

(ii) ''उत्पादन करार'' जहां प्रायोजक पूर्णत: या भागत: कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए तथा आउटपुट का जोखिम वहन करने के लिए करार करता है किंतु ऐसे कृषक द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए कृषक को संदाय करने के लिए करार करता है; और

(iii) ऐसे अन्य करार या उपरोक्त विनिर्दिष्ट करारों का समुच्च्य;

(ज) ''कृषि उत्पाद'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) खाद्य पदार्थ, जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल, सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल या अन्य मोटे अनाज, दालें, सब्जियां, फल, गिरी, मसाले, गन्ना और कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, मछली उद्योग और दुग्ध उद्योग के ऐसे उत्पाद आते हैं, जो अपने प्राकृतिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग के लिए आशयित हैं;

(ii) पशु चारा, जिसके अंतर्गत खली और अन्य सांद्र भी हैं;

(iii) कच्ची कपास, चाहे ओटी हुई हो या बिना ओटी हुई हो;

(iv) बिनौला, और कच्चा पटसन;

1932 का 9 (झ) ''फर्म'' से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में यथा परिभाषित फर्म अभिप्रेत हैं;

(ञ) ''अनिवार्य बाध्यता'' से कोई अकल्पित बाह्य घटना अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत बाढ़, सूखा, खराब मौसम, भूकंप, रोग की महामारी का प्रकोप, कीट-नाशक जीवमार और ऐसी अन्य घटनाएं जो अपरिहार्य हैं तथा कृषि करार करने वाले पक्षकारों के नियंत्रण से परे हैं;

(ट) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ठ) ''व्यक्ति'', के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:—

(i) कोई व्यष्टि;

(ii) कोई भागीदारी फर्म;

(iii) कोई कंपनी;

(iv) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(v) कोई सहकारी सोसाइटी;

(vi) कोई सोसाइटी; या

(vii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन समूह के रूप में सम्यक, रूप से निगमित या मान्यताप्राप्त कोई संगम या व्यक्तियों का निकाय;

(ड) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) ''रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जो धारा 12 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित हो;

(ण) ''प्रायोजक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी कृषि उत्पाद का क्रय करने के लिए कृषक के साथ कृषि करार किया है;

(त) ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है।

अध्याय 2

कृषि करार

3. (1) कोई कृषक किसी भी कृषि उत्पाद के संबंध में लिखित कृषि करार कर सकेगा और ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए उपबंध हो सकेगा— कृषि करार और इसकी अवधि।

(क) ऐसे उत्पाद की पूर्ति के लिए निबंधन और शर्तें, जिसके अंतर्गत पूर्ति का समय, क्वालिटी, श्रेणी, मानक, कीमत और ऐसे अन्य मामले भी हैं; और

(ख) कृषि सेवाओं की पूर्ति से संबंधित निबंधन:

परंतु ऐसी कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी भी विधिक उपेक्षा के अनुपालन के लिए उत्तरदायित्व, यथास्थिति, प्रायोजक या कृषि सेवा प्रदाता का होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी कृषक द्वारा कोई भी कृषि करार किसी बटाईदार के किसी भी अधिकार के अल्पीकरण में नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ''बटाईदार'' पद से किसी कृषि भूमि को जोतने वाला या उसका अधिभोगी अभिप्रेत है जो कृषि उत्पाद उपजाने या उगाने के लिए भू-स्वामी को फसल का नियत हिस्सा देने या नियत रकम का संदाय करने के लिए औपचारिक या अनौपचारिक रूप से सहमत होता है।

(3) कृषि करार की न्यूनतम अवधि, यथास्थिति, एक फसल अवधि या एक पशुधन जनन चक्र के लिए होगी और अधिकतम अवधि पांच वर्ष होगी:

परंतु जहां किसी कृषि उत्पाद का उत्पादन चक्र और अधिक है और पांच वर्ष से अधिक हो सकता है ऐसी दशा में कृषि करार की अधिकतम अवधि कृषक और प्रायोजक द्वारा पारस्परिक रूप से विनिश्चित की जा सकेगी और कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जा सकेगी।

(4) कृषकों को लिखित कृषि करार करने के लिए सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार ऐसी रीति में, जो ठीक समझे, आदर्श कृषि करारों सहित आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी।

कृषि उत्पाद की क्वालिटी, श्रेणी और मानक।

4. (1) कृषि करार करने वाले पक्षकार ऐसे करार की अनुपालना के पालन के लिए शर्त के रूप में कृषि उत्पाद के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी, श्रेणी और मानक अभिनिश्चित कर सकेगी और उनकी अपेक्षा कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए पक्षकार ऐसी क्वालिटी, श्रेणी और मानक अंगीकृत कर सकेगी—

(क) जो कृषि विज्ञान पद्धत्तियों, कृषि जलवायु और ऐसे अन्य कारकों के अनुरूप हैं; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अभिकरण द्वारा या इस प्रयोजन के लिए ऐसी सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण द्वारा बनाए गए हों,

और ऐसी क्वालिटी, श्रेणी और मानक का कृषि करार में स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हों।

(3) नाशक जीवमार अवशिष्ट, खाद्य सुरक्षा मानक, अच्छी कृषि पद्धति और श्रमिक तथा सामाजिक विकास मानकों के लिए क्वालिटी, श्रेणी और मानक कृषि करार में भी अंगीकृत किए जा सकेंगे।

(4) कृषि करार करने वाले पक्षकार शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेंगे कि ऐसे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य क्वालिटी, श्रेणी और मानकों को, खेती करने या उगाने की प्रक्रिया के दौरान अथवा परिदान के समय बिना पक्षपात के और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्षकार अर्हित निर्धारकों द्वारा मॉनीटर और प्रमाणित किया जाएगा।

कृषि उत्पाद का कीमत निर्धारण।

5. किसी कृषि उत्पाद के क्रय के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत कृषि करार में ही अवधारित और उल्लिखित की जा सकेगी और ऐसी दशा में जब ऐसी कीमत फेरफार के अध्यधीन है तब ऐसे करार में निम्नलिखित के लिए स्पष्ट रूप से उपबंध किया जाएगा—

(क) ऐसे उत्पाद के लिए संदत्त की जाने वाली प्रत्याभूत कीमत;

(ख) कृषक को सर्वोत्तम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याभूत कीमत के अलावा किसी अतिरिक्त रकम के लिए कोई स्पष्ट कीमत निर्देश, जिसके अंतर्गत बोनस या प्रीमियम भी है और ऐसे कीमत निर्देश को विनिर्दिष्ट एपीएमसी यार्ड या इलैक्ट्रानिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म या किसी अन्य उपयुक्त बैंचमार्क कीमतों में विद्यमान कीमतों से जोड़ा जा सके:

परंतु ऐसी कीमत या प्रत्याभूत कीमत या अतिरिक्त रकम की पद्धति को कृषि करार के साथ उपाबद्ध किया जाएगा।

कृषि उत्पाद का विक्रय या क्रय।

6. (1) जहां, किसी कृषि करार के अधीन, किसी कृषि उत्पाद का परिदान—

(क) कृषक स्थल के द्वार पर प्रायोजक द्वारा लिया जाना है, वहां वह ऐसा परिदान करार पाए गए समय की भीतर लेगा;

(ख) कृषक द्वारा किया जाना है, वहां यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रायोजक का होगा कि ऐसे परिदान को समय पर स्वीकार करने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं।

(2) प्रायोजक, किसी भी कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करने से पहले कृषि करार में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे उत्पाद की क्वालिटी या किसी अन्य विशेषता का निरीक्षण कर सकेगा, अन्यथा उसके द्वारा उत्पाद का निरीक्षण किया गया समझा जाएगा और उसे ऐसे उत्पाद के परिदान के समय या उसके पश्चात् उसे स्वीकार करने से मुकरने का अधिकार नहीं होगा।

(3) प्रायोजक,—

(क) जहां कृषि करार बीज उत्पादन से संबंधित है, वहां तय पाई गई रकम की कम से कम दो-तिहाई रकम का संदाय परिदान के समय करेगा और शेष रकम का संदाय सम्यक् प्रमाणीकरण के पश्चात् किंतु परिदान के तीस दिन के अपश्चात् करेगा;

(ख) अन्य मामलों में तय पाई गई रकम का संदाय कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार करते समय करेगा और विक्रय उत्पादों के ब्यौरे सहित रसीद जारी करेगा।

(4) राज्य सरकार, ऐसा ढंग और रीति विहित कर सकेगी जिसमें उपधारा (3) के अधीन कृषक को संदाय किया जाएगा।

7. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी कृषि उत्पाद के संबंध में कोई कृषि करार किया गया है, वहां ऐसा उत्पाद, ऐसे कृषि उत्पाद के विक्रय और क्रय के विनियमन के प्रयोजन के लिए स्थापित किसी भी राज्य अधिनियम के, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लागू होने से छूट-प्राप्त होगा। कृषि उत्पाद के संबंध में छूट।

1955 का 10 (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में या उसके अधीन जारी किए गए किसी नियंत्रण आदेश में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, स्टॉक सीमा से संबंधित कोई बाध्यता कृषि उत्पाद की ऐसी मात्रा को लागू नहीं होगी जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किए गए कृषि करार के अधीन क्रय की जाती है।

8. निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए कोई कृषि करार नहीं किया जाएगा— कृषक भूमि या परिसर के स्वामित्व अधिकार अर्जित करने या उसमें स्थायी रूप से कोई परिवर्तन करने से प्रायोजक का प्रतिषिद्ध होनां।

(क) कृषक की भूमि या परिसर का कोई अंतरण जिसके अंतर्गत विक्रय, पट्टा और बंधक भी हैं; या

(ख) कृषक की भूमि या परिसर पर कोई भी स्थायी ढांचा खड़ा करना या कोई परिवर्तन करना जब तक प्रयोजक, यथास्थिति, करार की समाप्ति पर या करार अवधि के अवसान पर अपनी लागत पर ऐसे ढांचे को हटाने या भूमि को उसकी मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित करने के लिए सहमत न हो:

परंतु जहां ऐसा ढांचा प्रयोजक द्वारा सहमत रूप में नहीं हटाया जाता है वहां ऐसे ढांचे का स्वामित्व, यथास्थिति, करार की समाप्ति के पश्चात् या करार अवधि के अवसान पर कृषक में निहित हो जाएगा।

9. किसी कृषि करार को, कृषक या प्रयोजक या दोनों की जोखिम को कम करने और प्रत्यय के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी वित्तीय सेवा प्रदाता की किसी स्कीम के अधीन बीमा या प्रत्यय लिखत के साथ जोड़ा जा सकेगा। कृषि करार का बीमा या प्रत्यय से जोड़ा जाना।

10. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई संकलक या कृषि सेवा प्रदाता कृषि करार का पक्षकार बन सकेगा और ऐसे मामलें में ऐसे संकलक या कृषि सेवा प्रदाता की भूमिका और सेवाओं का उल्लेख ऐसे कृषि करार में स्पष्ट रूप से किया जाएगा। कृषि करार के अन्य पक्षकार।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''संकलक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठन भी है, जो किसी कृषक या कृषकों के किसी समूह और किसी प्रयोजक के बीच मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है और कृषक तथा प्रयोजक दोनों को संकलन से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है;

(ii) ''कृषि सेवा प्रदाता'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कृषि सेवाएं प्रदान करता है।

11. किसी कृषि करार को करने के पश्चात् किसी भी समय, ऐसे करार के पक्षकार, पारस्परिक सहमति से, किसी भी युक्तियुक्त हेतुक के लिए ऐसे करार में परिवर्तन या उसका समापन कर सकेंगे। कृषि करार का परिवर्तन या समापन।

12. (1) कोई राज्य सरकार, उस राज्य के लिए इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्री उपलब्ध कराने के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी को अधिसूचित कर सकेगी, जो कृषि करारों के, रजिस्ट्रीकरण के लिए सुकर ढांचा उपलब्ध कराता हो। रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण प्राधिकारी की स्थापना।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां और कृत्य तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया ऐसी होगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

अध्याय 3

विवाद का समझौता

विवाद के समझौते के लिए सुलह बोर्ड।

13. (1) प्रत्येक कृषि करार में, करार के पक्षकारों के प्रतिनिधियों से मिलकर बने किसी सुलह बोर्ड की सुलह प्रक्रिया और उसका बनाया जाना स्पष्ट रूप से उपबंधित होगा:

परंतु ऐसे सुलह बोर्ड में पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उचित और संतुलित होगा।

(2) किसी भी कृषि करार से उत्पन्न होने वाले किसी विवाद को पहले कृषि करार के उपबंधों के अनुसार बनाए गए सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे बोर्ड द्वारा ऐसे विवाद के समझौते के लिए प्रत्येक प्रयास किया जाएगा।

(3) जहां किसी भी विवाद के संबंध में, सुलह कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, वहां तद्नुसार समझौता ज्ञापन तैयार किया जाएगा और उस पर ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा ऐसा समझौता पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

विवाद समाधान के लिए तंत्र।

14. (1) जहां कृषि करार में धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित सुलह प्रक्रिया का उपबंध नहीं है या कृषि करार के पक्षकार उस धारा के अधीन तीस दिन की अवधि के भीतर अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं, वहां ऐसा कोई पक्षकार संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है जो कृषि करारों के अधीन विवादों का विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी विवाद की प्राप्ति पर उपखंड प्राधिकारी,—

(क) यदि कृषि करार में सुलह प्रक्रिया के लिए उपबंध नहीं था, तो ऐसे विवाद का समझौता करने के लिए सुलह बोर्ड का गठन कर सकेगा; या

(ख) यदि पक्षकार, सुलह प्रक्रिया के माध्यम से अपने विवाद का समझौता करने में असफल हो जाते हैं तो पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे विवाद की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विवाद का विनिश्चय कर सकेगा और विवाद के अधीन रकम की, ऐसी शास्ति और ब्याज सहित, जो वह उचित समझे, निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा अर्थात्:—

(i) जहां प्रयोजक कृषक को देय रकम का संदाय करने में असफल होता है वहां ऐसी शास्ति देय रकम से डेढ़ गुणा तक हो सकेगी;

(ii) जहां आदेश कृषि करार के निबंधनानुसार किसी अग्रिम संदाय या इनपुट लागत के कारण प्रयोजक को देय रकम की रकम की वसूली के लिए कृषक के विरुद्ध किया जाता है तो ऐसी रकम प्रयोजक द्वारा उपगत वास्तविक लागत से अधिक नहीं होगी;

(iii) जहां विवादित कृषि करार, अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में हैं या कृषक द्वारा व्यतिक्रम अनिवार्य बाध्यता के कारण है तो कृषक के विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा, जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और वह उसी रूप में प्रवर्तनीय होगा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के 1908 का 5 अधीन कोई डिक्री होती है जब तक की उपधारा (4) के अधीन कोई अपील न कर दी गई हो।

(4) उपखंड प्राधिकारी के आदेश द्वारा व्यथित कोई भी पक्षकार अपील प्राधिकारी को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा या कलेक्टर द्वारा नामनिर्देशित अपर कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

(5) अपील प्राधिकारी अपील का निपटारा तीस दिन के भीतर करेगा।

(6) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा पारित प्रत्येक आदेश का वही बल होगा जो सिविल न्यायालय की किसी डिक्री का होता है और उसी रीति में प्रवर्तनीय होगा जैसे वह सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी डिक्री की रीति में होता है। 1908 का 5

(7) यथास्थिति, उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन संदेय रकम की वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में की जा सकेगी।

(8) उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास, इस धारा के अधीन विवाद को विनिश्चित करते समय, शपथ पर साक्ष्य लेने, साक्षियों को हाजिर कराने, दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण चीजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी।

(9) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

कृषक की भूमि के विरुद्ध शोध्यों की वसूली के लिए कोई कार्रवाई न होना।

15. धारा 14 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस धारा के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में किसी शोध्य रकम की वसूली के लिए कोई कार्रवाई कृषक की कृषि भूमि के विरुद्ध आरंभ नहीं की जाएगी।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

16. केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे, और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी।

अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों का लोक सेवक होना।

17. सभी प्राधिकारी जिनके अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन गठित या विहित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपबंध प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी भी हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

18. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए केंन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उपखंड प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद-अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

19. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विवाद के संबंध में, जिसका विनिश्चय करने के लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त है, कोई भी वाद या कार्यवाहियां ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई के संबंध में किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

20. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी ऐसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे:

परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से पहले तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन किया गया कोई कृषि करार या की गई ऐसी संविदा, ऐसे करार या संविदा की अवधि के विधिमान्य बनी रहेगी।

अधिनियम का स्टाक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को लागू न होना।

1956 का 42 **21.** इस अधिनियम की कोई बात प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों और समाशोधन निगमों को तथा उनमें किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया, तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) अन्य प्रयोजन, जिनके लिए उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी के पास धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी;

(ख) धारा 14 की उपधारा (9) के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन तथा अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) केंद्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, और यदि उस सत्र या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के अवसान से पहले दोनों सदन नियम में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या प्रभावी नहीं रहेगा; तथापि, ऐसे उपांतरण या रद्दकरण से उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

23. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धरा 6 की उपधारा (4) के अधीन कृषक को संदाय करने का ढंग और रीति;

(ख) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी का गठन, संरचना, शक्तियां और कृत्य तथा रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया;

(ग) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जाए या जिसकी बाबत राज्य सरकार द्वारा नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

(3) इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

25. (1) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 का निरसन किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं॰ 11

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 2020 का अध्यादेश सं॰ 11

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 21)

[24 सितम्बर, 2020]

ऐसे पारिस्थितिक तंत्र के सृजन का वहां, जहां कृषक और व्यापारी, ऐसी कृषक उपज के, विक्रय और क्रय संबंधी चयन की स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, तो प्रतिस्पर्धात्मक वैकल्पिक व्यापारिक चैनलों के माध्यम से लाभकारी कीमतों को सुकर बनाता है, का उपबंध करने के लिए; बाजारों के भौतिक परिसर या विभिन्न राज्य कृषि उपज बाजार संबंधी विधानों के अधीन अधिसूचित समझे गए बाजारों के बाहर कृषक उपज का दक्ष, पारदर्शी और निर्बाध अन्तरराज्य और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए; इलैक्ट्रानिक व्यापार के लिए सुसाध्य ढांचे का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

परिभाषाएं। 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म'' से कृषक उपज का, किसी इलैक्ट्रानिक युक्तियों और इंटरनेट उपयोजनों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन हेतु प्रत्यक्ष और आनलाइन क्रय और विक्रय के सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफार्म अभिप्रेत है, जहां प्रत्येक ऐसे संव्यवहार का परिणाम कृषक उपज का वास्तविक परिदान होता है;

(ख) ''कृषक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो स्वयं या भाड़े के श्रमिक द्वारा या अन्यथा कृषक उपज के उत्पादन में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत कृषक उत्पादक संगठन भी है;

(ग) ''कृषक उपज'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) गेहूं, चावल या अन्य मोटा अनाज, दालें, खाद्य तिलहन, तेल सागभाजी, फल, मेवा, मसाले, गन्ना और कुक्कुट, सूअर, बकरी, मत्स्य और डेरी उत्पाद सहित ऐसे खाद्य पदार्थ जो अपनी नैसर्गिक या प्रसंस्कृत रूप में मानव उपभोग कि लिए आशयित है;

(ii) खली और अन्य सांद्रों सहित पशु चारा; और

(iii) कच्ची कपास, चाहे उसकी ओटाई की गई है या ओटाई नहीं की गई है, बिनौला और कच्चा पटसन;

(घ) ''कृषक उत्पादक संगठन'' से, कृषकों का कोई ऐसा संगम या समूह अभिप्रेत है, चाहे वह किसी नाम से ज्ञात हो, जो—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित किसी स्कीम या कार्यक्रम के अधीन संवर्धित है;

(ङ) ''अंतरराज्यिक व्यापार'' से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है जिसमें एक राज्य का व्यापारी, अन्य राज्य के कृषक या किसी व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है, और ऐसी कृषक उपज का परिवहन उस राज्य से जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है, भिन्न राज्य में किया जाता है;

(च) ''अंत:राज्यिक व्यापार'' से कृषक उपज के क्रय या विक्रय की ऐसी कार्रवाई अभिप्रेत है, जिसमें एक राज्य का व्यापारी, उसी राज्य के किसी कृषक या व्यापारी से कृषक उपज का क्रय करता है, जहां से व्यापारी ने ऐसी कृषक उपज खरीदी है या जहां ऐसी कृषक उपज उत्पन्न होती है;

(छ) '' अधिसूचना'' के केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार ''अधिसूचित'' पद का वही अर्थ लगाया जाएगा;

(ज) ''व्यक्ति'' के अंतर्गत निम्नलिखित है—

(क) कोई व्यष्टि;

(ख) कोई भागीदारी फर्म;

(ग) कोई कंपनी;

(घ) कोई सीमित दायित्व भागीदारी;

(ङ) कोई सहकारी सोसाइटी;

(च) कोई सोसाइटी; या

(छ) ऐसा कोई संगम या व्यक्ति निकाय , जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी चालू कार्यक्रम के अधीन सम्यक् रूप से एक समूह के रूप में निगमित या मान्यताप्राप्त है;

(झ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रत है;

(ञ) ''अनुसूचित कृषक उपज'' के विनियमन के लिए किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट कोई कृषि उपज अभिप्रेत है;

(ट) ''राज्य'' के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(ठ) ''राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम'' से भारत में प्रवृत्त कोई ऐसा राज्य विधान या संघ राज्यक्षेत्र का विधान, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो उस राज्य में की कृषि उपज को विनियमित करता है;

(ङ) ''व्यापार क्षेत्र'' से—

(क) फार्म गेट;

(ख) कारखाना परिसर;

(ग) भांडागार;

(घ) खत्ती;

(ङ) शीतागार; या

(च) कोई अन्य ढांचा या स्थान,

सहित कोई ऐसा क्षेत्र या अवस्थान, उत्पादन, संग्रहण और संकलन का ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां से भारत के राज्यक्षेत्र में कृषक उपज का व्यापार किया जा सकेगा किन्तु इसके अन्तर्गत—

(i) भारत में प्रवृत्त प्रत्येक राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अधीन गठित बाजार समितियों द्वारा व्यवस्थित और संचालित मुख्य बाजार यार्डों और बाजार उप-यार्डों की भौतिक सीमाएं; और

(ii) अनुज्ञप्तियां धारण करने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवस्थित प्राइवेट बाजार यार्डों, प्राइवेट बाजार उप यार्डों प्रत्यक्ष विपणन संग्रहण केन्द्रों और प्राइवेट कृषक-उपभाक्ता बाजाय यार्डों या किन्ही भांडागारों, खत्तियों, शीतागारों, भारत में प्रवृत्त प्रत्येक राज्य कृषि उपज विपणन समिति अधिनियम के अधीन बाजार या समझे गए बाजारों के रूप में अधिसूचित अन्य संरचनाओं से मिलकर बना कोई परिसर, अहातों और संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं;

(ढ) ''व्यापारी'' से काई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अन्तरराज्यिक व्यापार या अंत:राज्यिक व्यापार या उन दोनों के संयोजन द्वारा थोक व्यापार, खुदरा, अंत्य उपयोग, मूल्य वर्धन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, निर्यात, उपभोग के प्रयोजन के लिए या ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए स्वयं या एक या अन्य व्यक्तियों की ओर से कृषक उपज का क्रय करता है।

अध्याय 2

कृषक उपज के व्यापार और वाणिज्य का संवर्धन और सरलीकरण

किसी व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता।

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रानिक व्यापार और संव्यवहार प्लेटफार्म को, किसी व्यापार क्षेत्र में कृषक उपज में अन्तरराज्य या अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य करने की स्वतंत्रता होगी।

अनुसूचित कृषक उपज का व्यापार और वाणिज्य।

4. (1) कोई व्यापारी, किसी व्यापार क्षेत्र में किसी कृषक या किसी अन्य व्यापारी के साथ अनुसूचित कृषक का अन्तरराज्यिक व्यापार या अंत:राज्यिक व्यापार कर सकेगा:

परंतु कोई व्यापारी, कृषक उत्पादक संगठनों या कृषि सहकारी सोसाइटी के सिवाय किसी अनुसूचित कृषक उपज का तब तक व्यापार नहीं करेगा जब तक ऐसे व्यापारी को आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन स्थायी

1961 का 43

खाता संख्यांक आबंटित न किया गया हो या उसके पास कोई ऐसा अन्य दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, न हो।

(2) केन्द्रीय सरकार, यदि उसकी यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है किसी व्यापार क्षेत्र में किसी व्यापारी के इलैक्ट्रानिक रजिस्ट्रेशन प्रणाली, व्यापार संव्यवहार की रीतियां और अनुसूचित कृषक उपज का संदाय करने की पद्धति विहित कर सकेगी।

(3) ऐसे प्रत्येक व्यापारी, जो कृषकों के साथ संव्यवहार करता है, व्यापार की गई अनुसूचित कृषक उपज के लिए संदाय उसी दिन या अधिकतम तीन कार्यदिवसों के भीतर करेगा यदि इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रक्रियात्मक रूप से ऐसा अपेक्षा की जाए कि कृषक को शोध्य रकम उल्लेख करके परिदान की रसीद उसी दिन दी जाएगी:

परंतु केन्द्रीय सरकार, क्रेताओं से संदाय रसीद के साथ जुड़े हुए कृषक उपज संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, द्वारा संदाय की भिन्न-भिन्न प्रक्रिया विहित कर सकेगी।

इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म।

5. (1) आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन आबंटित स्थायी खाता संख्यांक या ऐसा कोई अन्य दस्तावेज, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, रखने वाला कोई व्यक्ति (किसी व्यष्टि से भिन्न) कोई कृषक उत्पादक संगठन या कृषि सहकारी सोसाइटी, किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के अन्तरराज्यिक या अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए कोई इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित कर सकेगा और उसका प्रचालन कर सकेगा: (1961 का 43)

परन्तु इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म स्थापित और प्रचालित करने वाला व्यक्ति, व्यापार की रीति, फीस, अन्य प्लेटफार्मों के साथ अन्तर व्यवहार्य सहित तकनीकी पैरामीटर, तर्कसंगत व्यवस्थाएं, गुणवत्ता निर्धारण, यथासमय संदाय, प्लेटफार्म के प्रचालन के स्थान की स्थानीय भाषा में मार्गदर्शक सिद्धांतों का प्रसारण जैसी उचित व्यापार पद्धतियों और ऐसे अन्य विषयों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा और उनका क्रियान्वयन करेगा।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है तो वह, नियमों द्वारा, किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज के उचित अन्तरराज्य और अंत:राज्यिक व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाने के लिए इलैक्ट्रानिक व्यापारिक प्लेटफार्मों के लिए–

(क) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, मानदंड, रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी; और

(ख) आचार संहिता, तकनीकि पैरामीटर जिसके अंतर्गत अन्य प्लेटफार्म के साथ अन्तर व्यवहार्य और अनुसूचित कृषक उपज की संभार तंत्र व्यवस्थाएं और उनके गुणवत्ता निर्धारण व्यापार की रीति भी है और संदाय की रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

व्यापार क्षेत्र में राज्य कृषक उपज बाजार समिति अधिनियम, आदि के अधीन बाजार फीस।

6. किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली।

7. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी केन्द्रीय सरकार संगठन के माध्यम से, कृषक उत्पाद के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली और उससे संबंधित सूचना के प्रसारण हेतु एक रूपरेखा विकसित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, ऐसे संव्यवहारों के संबंध में जो विहित किए जाएं, किसी व्यक्ति से, सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी होने की और उसके प्रचालन की अपेक्षा कर सकेगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''केन्द्रीय सरकार संगठन'' पद के अन्तर्गत कोई अधीनस्थ या सहबद्ध कार्यालय, सरकार के स्वामित्वाधीन या संबंधित कंपनी या सोसाइटी भी है।

अध्याय 3

विवाद समाधान

8. (1) धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी संव्यवहार से उद्‌भूत किसी विवाद की दशा में, पक्षकार, आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से, सुलह के माध्यम से पारस्परिक प्रतिग्राह्य समाधान कर सकेंगे जो ऐसे विवाद को, विवाद के आबद्धकर परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा। कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुलहबोर्ड, एक अध्यक्ष और कम से कम दो और चार से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(3) अध्यक्ष, उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई पक्षकार, सात दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में असफल रहेगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे।

(4) जहां, सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई समाधान हो जाता है वहां तद्‌नुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन संव्यवहार के पक्षकार, इस धारा के अधीन उपवर्णित रीति में तीस दिन के भीतर विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकेंगे जो ऐसे विवाद के समाधान के लिए "उपखंड प्राधिकारी" होगा।

(6) उपखंड प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अभिकरण से निर्देश के आधार पर धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा और उपधारा (7) के अधीन कार्रवाई करेगा।

(7) उपखंड प्राधिकारी, इस धारा के अधीन विवाद का उल्लंघन का, उसके फाइल किए जाने की तारीख से और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् तीन दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में विनिश्चय करेगा —

(क) विवादाधीन रकम की वसूली के लिए आदेश पारित कर सकेगा; या

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) में यथा नियत शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापार और वाणिज्य व्यापारिक कार्य को करने से विवादग्रस्त व्यापारी को अवरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा।

(8) उपखंड प्राधिकारी के आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी (कलक्टर या कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर कलक्टर) के समक्ष अपील कर सकेगा जो ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(9) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा और डिक्रीत रकम की भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की जाएगी।

(10) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म में प्रचालन के अधिकार का निलंबन या रद्दकरण।

9. (1) कृषि विपणन सलाहार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, भारत सरकार या राज्य सरकार का ऐसा कोई अधिकारी जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अभिकरण के निर्देश के आधार पर, प्रक्रियाओं, मानदण्डों, रजिस्ट्रीकरण की रीति और आचार संहिता के किसी अंग का या धारा 5 के अधीन स्थापित इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म द्वारा उचित व्यापार पद्धतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों के किसी अंग का या धारा 7 के उपबंधों के उल्लंघन का संज्ञान ले सकेगा और प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, वह —

(क) कृषकों और व्यापारियों को संदेय रकम की वसूली का आदेश पारित कर सकेगा;

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) में यथा नियत शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के रूप में प्रचालन के अधिकार को ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलम्बित कर सकेगा या उसे रद्द कर सकेगा:

परंतु रकम की वसूली, शास्ति के अधिरोपण या प्रचालन के अधिकार के निलम्बन या रद्दकरण का कोई आदेश, ऐसे इलैक्ट्रानिक व्यापारिक संव्यवहार प्लेटफार्म के प्रचालन को सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री का बल होगा और उस रूप में प्रवर्तनीय होगा तथा डिक्रित रकम की भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूल की जाएगी।

प्रवर्तन के अधिकार के रद्दकरण के विरुद्ध अपील।

10. (1) धारा 9 के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तारीख से साठ दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, अपील कर सकेगा:

परन्तु कोई अपील साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किन्तु नब्बे दिन की कुल अवधि के अपश्चात् भी ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर अपील न कर सकने का पर्याप्त कारण था।

(2) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की एक प्रति, जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस संलग्न होगी, जो विहित की जाए।

(3) किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) इस धारा के अधीन फाइल की गई अपील की सुनवाई और उसका निपटान, उसके फाइल किए जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा:

परन्तु किसी अपील के निपटान से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जएगा।

अध्याय 4

शास्तियां

अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के लिए शास्ति।

11. (1) जो कोई धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी शास्ति के संदाय का, जो पच्चीस हजार रुपए से कम की नहीं होगी किन्तु उसे पांच लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, पांच हजार रुपए से अनधिक की और शास्ति का दायी होगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी है, उसका नियंत्रण या प्रचालन करता है, धारा 5 और धारा 7 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी शास्ति के सदस्य का, जो पचास हजार रुपए से अधिक की नहीं होगी किन्तु उसे दस लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकेगी और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है दस हजार रुपए से अनधिक की और शास्ति का दायी होगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

12. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे अनुदेश, निदेश, आदेश दे सकेगी या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी जो वह, केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी, किसी राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या अधिकारी, किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए जो किसी इलैक्ट्रानिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन करता है या किसी व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग के लिए आवश्यक समझे। केन्द्रीय सरकार की अनुदेश, निदेश, आदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने की शक्ति।

13. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात में संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी। सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

14. इस अधिनियम के उपबंध, किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

15. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन।

1956 का 42 16. इस अधिनियम की कोई बात, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 के और उसके अधीन मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग कारपोरेशन और उसके अधीन किए गए संव्यवहारों को लागू नहीं होगी। कतिपय संव्यवहारों को अधिनियम का लागू न होना।

17. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगी। केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा4 की उपधारा (2) के अधीन अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापारी के लिए इलैक्ट्रानिक रजिस्टीकरण प्रणाली और व्यापार संव्यवहार की रीतियां;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन संदाय की प्रक्रिया;

(ग) धारा 8 की उपधारा (10) के अधीन उपखंड प्राधिकारी के समक्ष याचिका या आवेदन फाइल करने और अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया;

(घ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन संव्यवहारों की बाबत सूचना;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन अपील फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस;

(च) धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपील के निपटान की प्रक्रिया;

(छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए या विहित किया जाना है।

18. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए नियमों का रखा जाना।

सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

19. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्तियां।

20. (1) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 निरसित किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं० 10

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 22)

[26 सितम्बर, 2020]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1955 का 10 **2.** आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 3 का संशोधन।

'(1क) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) ऐसे खाद्य पदार्थों की पूर्ति को, जिसके अंतर्गत अनाज, दाल, आलू, प्याज, खाद्य तेलहन और तेल भी हैं, जेसा केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, केवल असाधारण परिस्थितियों जिसमें युद्ध, अकाल असाधारण कीमत वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा भी सम्मिलित है, में ही विनियमित किया जा सकेगा;

(ख) स्टॉक सीमा अधिरोपित करने संबंधी कोई कार्रवाई, कीमत वृद्धि पर आधारित होगी और किसी कृषि उपज की स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन केवल तभी जारी किया जा सकेगा, यदि—

(i) उद्यान उत्पाद के खुदरा मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हो; या

(ii) गैर-विनश्वर कृषि खाद्य पदार्थों के खुदरा कीमत में पचास प्रतिशत वृद्धि हो,

बारह मास के ठीक पूर्ववर्ती विद्यमान कीमत पर या पिछले पांच वर्ष की ओसत खुदरा कीमत पर, इनमें से जो भी कम हो, है:

परंतु स्टॉक सीमा को विनियमित करने वाला ऐसा आदेश किसी कृषि उत्पाद के किसी प्रक्रमणक या मूल्य श्रृंखला सहभागी को लागू नहीं होगा, यदि ऐसे व्यक्ति की स्टॉक सीमा, प्रसंस्करण करने की अधिष्ठापित क्षमता की समग्र अधिकतम सीमा से अधिक या किसी निर्यातक की दशा में निर्यात की मांग से अधिक नहीं होती है:

परंतु यह और कि इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सरकार द्वारा इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित, किए गए किसी आदेश को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—किसी कृषि उत्पाद के संबंध में ''मूल्य श्रृंखला सहभागी'' पद से यह अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत खेत से अंतिम उपभोग तक किसी कृषि उत्पाद के उत्पादन से सहभागियों का सेट और जिसमें प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन और वितरण भी अंतर्वलित है, जहां प्रत्येक प्रक्रम पर उत्पाद के मूल्य में वर्धन किया जाता है।'।

निरसन और व्यावृत्ति।

3. (1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2020 का अध्यादेश सं॰ 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1955 का 10

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 30)

[28 सितम्बर, 2020]

भारतीय वित्तीय बाजारों में अर्हित वित्तीय संविदाओं की द्विपक्षीय नेटिंग की प्रवर्तनीयता का उपबंध करके वित्तीय स्थायित्व को सुनिश्चित करने ओर प्रतिस्पर्धा का संवर्धन करने के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग अधिनियम, 2020 है। संक्षिप्त नाम।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं। **2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''प्रशासन'' से प्रशासन के अधीन की जाने वाली कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अधिस्थगन का अधिरोपण, पुनर्संगठन, परिसमापन, समापन (किसी भी अनिवार्य परिसमापन प्रक्रिया या कार्यवाही सहित) दिवाला, शोधन अक्षमता, लेनदारों के साथ समझौता, प्रापक, संरक्षकता या पूर्वगामी में से किसी प्रकृति की या उसके परिणामस्वरूप कोई अन्य कार्यवाही भी है, जो किसी अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार के विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन आरंभ या प्रारंभ की गई है;

(ख) ''प्रशासन व्यवसायी'' से समापक, प्रापक, न्यासी, संरक्षक, समाधान वृत्तिक या कोई अन्य व्यक्ति या अस्तित्व, जिस भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रशासन के अध्यधीन किसी पक्षकार के कार्यों का प्रशासन करता है;

(ग) ''प्राधिकारी'' से केंद्रीय सरकार या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी विनियामक प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''बैंककारी संस्था'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक; और 1934 का 2

(ii) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक विनिर्दिष्ट करे।

(ङ) ''क्लोज-आउट नेटिंग'' से किसी व्यतिक्रमी पक्षकार के साथ किसी अर्हित वित्तीय संविदा के अधीन बाध्यता के समापन वाली और तत्पश्चात् धारा 6 में यथावर्णित एकल शुद्ध संदेय या प्राप्य में सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिस्थापन मूल्यों के तत्पश्चात् संयोजन की प्रक्रिया अभिप्रेत है;

(च) ''सांपार्श्विक'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) किसी खाते में किसी भी मुद्रा में जमा किया गया नकद के रूप में धन या धन के प्रतिसंदाय के लिए उसी प्रकार का दावा, जैसे कोई धन बाजार निक्षेप;

(ii) किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियां, जिसके अंतर्गत ऋण और साम्या प्रतिभूतियां भी हैं;

(iii) प्रत्याभूतियां, प्रत्यय पत्र और प्रतिपूर्ति की बाध्यताएं; और

(iv) किसी भी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन सांपार्श्विक के रूप में सामान्य रूप से प्रयुक्त कोई भी आस्ति;

(छ) ''सांपार्श्विक ठहराव'' से किसी नेटिंग करार या एक या अधिक अर्हित वित्तीय संविदाएं, जिनको नेटिंग करार लागू होता है, से संबंधित या उसके भाग के रूप में कोई मार्जिन, सांपार्श्विक या प्रतिभूति ठहराव या अन्य प्रत्यय वृद्धि अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) गिरवी या सांपार्श्विक में प्रतिभूति हित का कोई अन्य रूप, चाहे कब्जाहक हो या बेकब्जा हक;

(ii) कोई हक अंतरण सांपार्श्विक ठहराव; और

(iii) किसी पक्षकार द्वारा या एक या अधिक संविदाओं के पक्षकार को उन अर्हित वित्तीय संविदाओं की बाबत कोई प्रत्याभूति, प्रत्यय पत्र या प्रतिपूर्ति बाध्यता; या कोई नेटिंग करार;

(ज) ''दिवाला पक्षकार'' से किसी अर्हित वित्तीय संविदा का ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जिसके संबंध में भारत में प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य देश की विधि के अधीन दिवाला, परिसमापन, समापन, समाधान, प्रशासन या उसी प्रकार की कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं जिसके अंतर्गत उसका निगमन भी है;

(झ) ''मार्जिन'' से क्रय, विक्रय या किसी अर्हित वित्तीय संविदा के किए जाने के लिए परफार्मेंस बंधपत्र के रूप में अपेक्षित सांपार्श्विक की रकम, रूप और प्रकार अभिप्रेत है तथा इसके अंतर्गत—

(अ) ऐसा आरंभिक मार्जिन भी है, जो क्लोज-आउट के दौरान अर्हित वित्तीय संविदा के बाजार में प्रचलित मूल्य में भावी परिवर्तनों से उत्पन्न होने के लिए संभाव्य कार्यक्षम भावी अनाश्रयता से संव्यवहार करने वाले पक्षकारों को संरक्ष प्रदान करता है और प्रति पक्षकार व्यतिक्रम की दशा में स्थिति को प्रतिस्थापित करता है; और

(आ) रूपभेद मार्जिन भी है, जो वर्तमान अनाश्रयता से संव्यवहार करने वाले पक्षकारों को संरक्षा प्रदान करता है, जो संव्यवहार निष्पादित करने के पश्चात् अर्हित वित्तीय संविदा के बाजार तक पहुंच मूल्य में परिवर्तनों से किसी पक्षकार द्वारा पहले ही उपगत किया जा चुका है;

(ञ) ''नेटिंग'' से अर्हित वित्तीय संविदाओं के पक्षकारों के बीच पारस्परिक व्यवहार पर आधारित या उससे उत्पन्न सभी दावों या बाध्यताओं के मुजरे या समायोजन के पश्चात् शुद्ध दावे या बाध्यताओं का अवधारण अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत क्लोज-आउट नेटिंग भी है;

(ट) ''नेटिंग करार'' से ऐसा करार अभिप्रेत है, जिसमें नेटिंग के लिए उपबंध है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) कोई करार, जो दो या अधिक नेटिंग करारों के अधीन शेध्य रकमों की नेटिंग के लिए उपबंध करता है; और

(ii) किसी नेटिंग करार से संबंधित या उसका भागरूप कोई सांपार्श्विक करार;

(ठ) ''गैर-दिवाला पक्षकार'' से किसी अर्हित वित्तीय संविदा का ऐसा पक्षकार अभिप्रेत है, जो दिवाला पक्षकार नहीं है;

(ड) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित करना'' का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा;

(ढ) ''अर्हित वित्तीय संविदा'' से धारा 4 के खंड (क) के अधीन प्रधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अर्हित वित्तीय संविदा अभिप्रेत है;

(ण) ''अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार'' के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(i) कोई बैंककारी संस्था या कोई गैर-बैंककारी कंपनी या ऐसी अन्य वित्तीय संस्था, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनियमन या नीतिपरक पर्यवेक्षण के अध्यधीन है;

(ii) कोई व्यष्टि, भागीदारी फर्म, कंपनी या कोई अन्य व्यक्ति या निगमित निकाय, चाहे भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी अन्य देश की विधि के अधीन निगमित हो और इसके अंतर्गत कोई भी अंतरराष्ट्रीय या प्रादेशित विकास बैंक या अन्य अंतरराष्ट्रीय या प्रादेशिक संगठन भी है;

(iii) कोई बीमा या पुन:बीमा कंपनी, जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
1999 का 41 अधिनियम, 1999 के अधी स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमन या नीतिपरक पर्यवेक्षण के अध्यधीन है;

2013 का 23 (iv) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित कोई पेंशन निधि;

2019 का 50 (v) अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण विनियमित वित्तीय संस्था; और

(vi) धारा 4 के खंड (ख) के अधन सुसंगत प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई अन्य अस्तित्व;

(त) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम की पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची अभिप्रेत है;

(थ) ''हक अंतरण सांपार्श्विक करार'' से सांपार्श्विक को हक के अंतरण पर, चाहे प्रत्यक्ष विक्रय द्वारा हो या प्रतिभूति के रूप में हो, आधारित किसी नेटिंग करार से संबंधित सांपार्श्विक या प्रतिभूति ठहराव का अंतर अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत विक्रय और पुन: क्रय करार, प्रतिभूति पर उधार करार, प्रतिभूतियां, पुन: क्रय या विक्रय करार या कोई अनियमित गिरवी भी हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बीमा अधिनियम, 1938, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007, कंपनी अधिनियम, 2013, पेंशन निधि विकास प्राधिकरण अधिनिमय, 2013 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके क्रमश: उन अधिनियमितियों में हैं।

1934 का 2
1938 का 4
1949 का 10
1956 का 42
1970 का 5
1980 का 40
1992 का 15
1999 का 42
1999 का 41
2007 का 51
2013 का 18
2013 का 23
2016 का 31

अध्याय 2

अधिनियम का लागू होना

अधिनियम का लागू होना।

3. इस अधिनियम के उपबंध अर्हित वित्तीय बाजार भागीदारों के बीच द्विपक्षीय आधार पर, चाहे किसी नेटिंग करार के अधीन हो या अन्यथा, की गई किसी अर्हित वित्तीय संविदा को लागू होंगे, जहां भागीदारों में कम से कम एक भागीदार पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा विनियमित कोई अस्तित्व होगा।

प्राधिकारी की शक्तियां।

4. सुसंगत प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा,—

(क) उसके द्वारा विनियमित किसी भी द्विपक्षीय करार या संविदा या संव्यवहार या संविदा के प्रकार को अर्हित वित्तीय संविदा के रूप में अभिहित कर सकेगा:

परंतु इस खंड के अधीन इस प्रकार अभिहित संविदा के अंतर्गत ऐसी संविदा नहीं होगी,—

(i) जो ऐसे पक्षकारों के बीच ऐसे निबंधनों पर की गई है, जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; या

(ii) जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956, संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के उपबंधों के अनुसार बहुपक्षीय आधार पर की गई है; 1956 का 42

(ख) उसके द्वारा विनियमित किसी भी अस्तित्व को अर्हित वित्तीय संविदा में व्यौहार करने के लिए किसी अर्हित वित्तीय बाजार भागीदारी के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगा। 2007 का 51

नेटिंग की प्रवर्तनीयता।

5. (1) अर्हित वित्तीय संविदा की नेटिंग, वहां प्रवर्तनीय होगी, जहां—

(क) ऐसी संविदा नेटिंग करार के निबंधनानुसार किसी नेटिंग करार के साथ की गई है:

परंतु किसी नेटिंग करार में किसी भी अनर्हित वित्तीय संविदा का सम्मिलित किया जाना ऐसे करार के अधीन अर्हित वित्तीय संविदा के नेटिंग की प्रवर्तनीयता को अविधिमान्य नहीं करेगा; या

(ख) ऐसी संविदा, धारा 6 के उपबंधों के अनुसार किसी नेटिंग करार के बिना की गई है।

(2) कोई अर्हित वित्तीय संविदा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण शून्य नहीं होगी और कभी भी शून्य या अप्रवर्तनीय हुई नहीं समझी जाएगी।

(3) अर्हित वित्तीय संविदा की कलोज-आउट नेटिंग किसी दिवाला पक्षकार के विरुद्ध और जहां कहीं लागू हो, किसी पक्षकार के लिए सांपार्श्विक या प्रतिभूति उपलब्ध कराने वाले किसी प्रत्याभूतिदाता या अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगी तथा निम्नलिखित द्वारा प्रभावित नहीं की जाएगी या रोकी नहीं जाएगी या अन्यथा सीमित नहीं की जाएगी—

(i) किसी प्रशासन व्यवसायी की नियुक्ति या उसकी नियुक्ति के लिए किसी आवेदन द्वारा;

(ii) प्रशासन से संबंधित विधि के किसी उपबंध के लागू होने के द्वारा, या

(iii) विधि के किसी अन्य उपबंध द्वारा, जो किसी दिवाला पक्षकार को लागू हो।

(4) जहां कोई अर्हित वित्तीय बाजार भागीदार प्रशासन के अध्यधीन है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किए गए या जारी-—

(i) किसी रोक आदेश, व्यादेश, परिवर्जन, अधिस्थगन या उसी प्रकार की कार्यवाहियां या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के किसी अन्य आदेश के; या

(ii) न्यायनिर्णयन या विघटन या परिसमापन या समाधान या दिवालापन के किसी आदेश के; या

(iii) किसी नियम, विनियम, स्कीम, निदेश, मार्गदर्शन, परिपत्र या आदेश के, होते हुए भी, क्लोज-आउट नेटिंग लागू होगी और उसमें अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन क्लोज-आउट नेटिंग की विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी।

(5) इस अधिनियम के अधीन क्लोज-आउट नेटिंग के अनुसार संदेय रकम या किए गए अन्य दावे अंतिम, अप्रतिसंहरणीय और किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकारों तथा प्रशासन में पक्षकार के प्रशासन व्यवसायी पर आबद्धकर होंगे।

अध्याय 3

क्लोज-आउट नेटिंग का आह्वान

क्लोज-आउट नेटिंग का आह्वान।

6. (1) क्लोज-आउट नेटिंग का प्रारंभ, किसी एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार की बाबत किसी व्यतिक्रम की दशा होने पर या ऐसे पर्यवसान की दशा में, जो नेटिंग करार में यथाविनिर्दिष्ट स्वत: आने वाली कतिपय परिस्थितियों में हो, किसी अर्हित वित्तीय संविदा के दूसरे पक्षकार को नोटिस देकर किया जा सकेगा:

परंतु जहां नेटिंग करार का कोई एक पक्षकार प्रशासन के अध्यधीन है, दिवाला, परिसमापन, समापन, प्रशासन या समाधान कार्यवाही के किसी पक्षकार अथवा ऐसी कार्यवाही के प्रशासन व्यवसायी को पूर्व नोटिस देना या उसकी सहमति अपेक्षित नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए—

(i) ''व्यतिक्रम की दशा'' से किसी अर्हित वित्तीय संविदा की बाध्यताओं का संदाय करने, परिदान करने या पूरा करने में असफलता अथवा शोधन अक्षमता या कोई अन्य ऐसी दशा अभिप्रेत है जिस पर करार के पक्षकार सहमत हों; और

(ii) ''पर्यवसान दशा'' से नेटिंग करार में वर्णित कोई ऐसी दशा होना अभिप्रेत है, जो उस करार के अधीन एक या दोनों पक्षकारों को सुसंगत संव्यवहार के पर्यवसान करने का अधिकार दे देती है।

(2) किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी अर्हित वित्तीय संविदा के अधीन एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को पूरी की जाने वाली सभी बाध्यताओं को एकल शुद्ध रकम तक कम किया जाए या प्रतिस्थापित किया जाए, जिसका निम्नलिखित प्रभाव होगा, अर्थात्:—

(क) किसी एक या अधिक ऐसी अर्हित वित्तीय संविदाओं के, जिनको नेटिंग करार लागू होता है, अधीन या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी वर्तमान या भावी संदाय या परिदान अधिकारों या बाध्यताओं का पर्यवसान, समापन या त्वरित किया जाना;

(ख) खंड (क) के अधीन पर्यवसित, समाप्त या त्वरित प्रत्येक अधिकार और बाध्यता या अधिकारों और बाध्यताओं के समूह की बाबत क्लोज-आउट मूल्य, बाजार मूल्य, समापन मूल्य या प्रतिस्थापन मूल्य का परिकलन या प्राक्कलन और ऐसे प्रत्येक मूल्य का किसी एकल मुद्रा में संपरिवर्तन; और

(ग) खंड (ख) के अधीन, एक पक्षकार की दूसरे पक्षकार को शुद्ध अतिशेष के बराबर रकम का संदाय करने की बाध्यता को उत्पन्न करने वाले, परिकलित मूल्यों के शुद्ध अतिशेष का अवधारण, चाहे मुजरा के द्वारा हो या अन्यथा।

(3) सांपार्श्विक की वसूली, विनियोग या परिसमापन की अपेक्षा करने वाले तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और पक्षकारों द्वारा सिवाय अन्यथा सहमति के किसी सांपार्श्विक ठहराव के अधीन सांपार्श्विक की वसूली, विनियोग या परिसमापन किसी पक्षकार, व्यक्ति या अस्तित्व को पूर्व सूचना या उनकी सहमति के बिना प्रभावी नहीं होगा।

(4) क्लोज आउट नेटिंग, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी विधि के प्रति या किसी अन्य विधि में, जिसके अनुसरण में कोई अर्हित वित्तीय बाजार सहभागी निगमित किया गया हे, गठित किया गया है या विनियमित किया गया है, अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी सभी अर्हित वित्तीय बाजार सहभागियों को लागू होगी, जो किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार हैं।

शुद्ध रकम।

7. (1) जहां अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार किसी नेटिंग करार में प्रविष्ट होते हैं, क्लोज-आउट नेटिंग के अधीन संदेय रकम का अवधारण पक्षकारों द्वारा किए गए नेटिंग करार के निबंधनानुसार किया जाएगा।

(2) किसी नेटिंग करार की अनुपस्थिति में जहां किसी अर्हित वित्तीय संविदा के पक्षकार क्लोज-आउट नेटिंग के अधीन संदेय शुद्ध रकम के संबंध में सहमत होने में असफल होते हैं तो ऐसी राशि का अवधारण माध्यस्थम् के माध्यम से किया जाएगा।

अध्याय 4

प्रशासन व्यवसायी की शक्तियों की सीमाएं

प्रशासन व्यवसायी की शक्तियों की सीमाएं।

8. प्रशासनिक व्यवसायी निम्नलिखित को प्रभावहीन नहीं करेगा या प्रभावहीन करने की ईप्सा नहीं करेगा,—

(क) किसी दिवाला पक्षकार और गैर-दिवाला पक्षकार के बीच किसी नेटिंग करार के अधीन या उसके संबंध में नकद, सांपार्श्विक या किसी अन्य हित का अंतरण, प्रतिस्थापन या विनिमय; या

(ख) दिवाला पक्षकार द्वारा और गैर-दिवाला पक्षकार द्वारा किसी नेटिंग करार के अधीन या उसके संबंध में किसी अधिमान का गठन करने के आधार पर, जिसके अंतर्गत कपटपूर्ण अधिमान या न्यून मूल्य पर, जिसके अंतर्गत दिवाला पक्षकार द्वारा किसी गैर-दिवाला पक्षकार को संदेह अवधि के दौरान अंतरण है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''संदेह अवधि'' से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 43 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट सुसंगत अवधि और ''अधिमानी संव्यवहार'' से उस संहिता की धारा 46 की उपधारा (1) में ''न्यून मूल्य संव्यवहार'' अभिप्रेत है। 2016 का 31

अध्याय 5

प्रकीर्ण

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

9. (1) यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची में वर्धन कर सकेगी या अन्यथा संशोधन कर सकेगी और तत्पश्चात्, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची को तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए गए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या इस बात पर सहमत हो जाएं कि अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो तत्पश्चात् अधिसूचना, यथास्थिति, उस परिवर्तित रूप में प्रभावी होगी या निष्प्रभाव हो जाएगी; तथापि, अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होना।

10. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विधि का प्रभाव रखने वाले किसी अन्य लिखत में उससे असंगत अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी अध्यारोही प्रभाव होगा।

11. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों: कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परंतु कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

[धारा 2(1)(ग), (त) और 9(1) देखिए]

क्रम सं०	प्राधिकरण का नाम	अधिनियम संख्या
1	2	3
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय रिजर्व बैंक।	1934 का 2
2.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड।	1992 का 15
3.	बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण।	1999 का 41
4.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण।	2013 का 23
5.	अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 4 के अधीन स्थापित अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण।	2019 का 50

दूसरी अनुसूची

[धारा 6(4) और 9(1) देखिए]

क्रम सं०	अधिनियमिति का नाम	अधिनियम संख्यांक
1	2	3
1.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934	1934 का 2
2.	बीमा अधिनियम, 1938	1938 का 4
3.	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949	1949 का 10
4.	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955	1955 का 23
5.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956	1956 का 42
6.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	1970 का 5
7.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976	1976 का 21
8.	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980	1980 का 40
9.	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992	1992 का 15
10.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999	1999 का 42
11.	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999	1999 का 41
12.	संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007	2007 का 51
13.	कंपनी अधिनियम, 2013	2013 का 18
14.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013	2013 का 23
15.	दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016	2016 का 31

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 33)

[28 सितम्बर, 2020]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

धारा 3 का संशोधन।

2010 का 42

2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ग) लोक सेवक, न्यायाधीश, सरकारी सेवक या सरकार के नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन किसी निगम या किसी अन्य निकाय का कर्मचारी;'';

(ii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण** 1—खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, ''लोक सेवक'' से भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में यथा परिभाषित कोई लोक सेवक अभिप्रेत है। 1860 का 45

स्पष्टीकरण 2—खंड (ग) और धारा 6 में ''निगम'' पद से सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई निगम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी भी है।'। 2013 का 18

धारा 7 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

विदेशी अभिदाय का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण करने पर प्रतिबंध।

''7. कोई व्यक्ति जो,—

(क) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिया गया है या उसने पूर्व अनुज्ञा प्राप्त की है; और

(ख) विदेशी अभिदाय प्राप्त करता है,

ऐसे विदेशी अभिदाय को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा।''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) में, ''पचास प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं ''बीस प्रतिशत'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 11 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के परंतुक में, ''परंतु यदि उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति'', शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-—

''परंतु केंद्रीय सरकार के पास, किसी सूचना या रिपोर्ट के आधार पर और कोई संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे पूर्व अनुज्ञा दी गई है, इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, कोई आगे जांच होने तक ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकेगी कि वह केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुपयोजित विदेशी अभिदाय का उपयोग नहीं करेगा या, यथास्थिति, विदेशी अभिदाय के शेष भाग को, जो प्राप्त नहीं हुआ है या कोई अतिरिक्त विदेशी अभिदाय, यथास्थिति प्राप्त नहीं करेगा:

परंतु यह और कि यदि उपधारा (1) में या इस उपधारा में निर्दिष्ट व्यक्ति।''।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(1क) प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन करता है, को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति में ''एफसीआरए खाता'' खोलना और अपने आवेदन में ऐसे खाते के ब्यौरे उल्लिखित करना अपेक्षित होगा।'।

नई धारा 12क का अंत:स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पहचान दस्तावेज के रूप में आधार संख्यांक, आदि की अपेक्षा करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

''12क. इस अधिनियम में किसी बात के होते हए भी, केन्द्रीय सरकार यह अपेक्षा कर सकेगी कि कोई व्यक्ति जो धारा 11 के अधीन पूर्व अनुज्ञा या पूर्व अनुमोदन चाहता है या यथास्थिति, धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त करने हेतु या धारा 16 के अधीन प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु आवेदन करता है, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षियत परिदान) अधिनियम, 2016 के अधीन जारी किया गया पहचान दस्तावेज के रूप में अपने सभी पदाधिकारियों या निदेशकों या मुख्य कृत्यकारियों, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के आधार संख्यांक या विदेशी होने की दशा में पासपोर्ट या प्रवासी भारतीय नागरिक की एक प्रति उपलब्ध कराएगा।"। 2016 का 18

8. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) में ''यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर ''यथाविनिर्दिष्ट एक सौ अस्सी दिन या ऐसी और अवधि के लिए जो एक सौ अस्सी दिन से अनधिक हो'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 13 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 14क का अंत:स्थापन।

''14क. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त किए गए अनुरोध पर, किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र को वापस लौटाने के लिए तब अनुज्ञात कर सकेगी जब, ऐसी जांच, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया है तथा ऐसे अभिदाय से सृजित विदेशी अभिदाय और शास्ति, यदि कोई हो, का प्रबंधन धारा 15 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित प्राधिकारी में निहित हो गया है।''। प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण।

10. मूल अधिनियम की धारा 15 में,— धारा 15 का संशोधन।

(i) पार्श्व शीर्षक में, ''रद्द किया'' शब्दों के पश्चात् ''या लौटा दिया'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) में ''धारा 14'' के पश्चात् शब्दों, अंकों और अक्षरों ''या धारा 14क के अधीन लौटा दिया गया है'' शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 16 का संशोधन।

''परन्तु केन्द्रीय सरकार, प्रमाणपत्र का नवीकरण करने के पूर्व, स्वयं का यह समाधान करने के लिए ऐसे व्यक्ति ने धारा 12 की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी की हैं, ऐसी जांच, जो ठीक समझे, कर सकेगी।''।

12. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 17 के स्थान पर नई धारा का रखा जाना।

'17. (1) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 12 के अधीन प्रमाणपत्र अनुदत्त किया गया है या पूर्व अनुज्ञा दी गई है, बैंक द्वारा ''एफसीआरए खाता'' के रूप में अभिहित किसी खाते में ही ऐसा विदेशी अभिदाय प्राप्त करेगा, जिसे उसके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की ऐसी शाखा में विदेशी अभिदाय के विप्रेषणादेश के प्रयोजन के लिए, जैसा केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, खोला जाएगा: अनुसूचित बैंक के माध्यम से विदेशी अभिदाय।

परन्तु ऐसा व्यक्ति विदेशी अभिदाय रखने या उपयोग करने के प्रयोजन के लिए अपनी पसन्द के किसी अनुसूचित बैंक में अन्य ''एफसीआरए खाता'' भी खोल सकेगा, जो भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की विनिर्दिष्ट शाखा में उसके ''एफसीआरए खाते'' से प्राप्त हुआ है:

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति अपनी पसंद के एक या अधिक अनुसूचित बैंकों में एक या अधिक खाते खोल सकेगा जो वह भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली के किसी विनिर्दिष्ट शाखा में अपने ''एफसीआरए खाता'' में उसके द्वारा प्राप्त किसी विदेशी अभिदाय का उपयोग करने के लिए अंतरित कर सकेगा या अपनी पसंद के किसी अनुसूचित बैंक में अन्य एफसीआरए खाते में उसके द्वारा रखा जा सकेगा:

परन्तु यह और भी कि ऐसे खाते में विदेशी अभिदाय से भिन्न कोई निधि प्राप्त या जमा नहीं की जाएगी।

(2) भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली की विनिर्दिष्ट शाखा या अनुसूचित बैंक की शाखा, जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति ने अपना विदेशी अभिदाय खाता खोला है या विदेशी मुद्रा में प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे प्राधिकारी को, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, निम्नलिखित के संबंध में रिपोर्ट, ऐसे प्ररूप में और रीति से जो विहित की जाए, करेगा—

(क) विदेशी विप्रेषण की विहित रकम;

(ख) वह स्रोत और रीति, जिसमें विदेशी विप्रेषण प्राप्त किया गया था; और

(ग) कोई अन्य विशिष्टियां।'।

डा॰ जी॰ नारायण राजू,
सचिव, भारत सरकार।

UPLOADED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI–110002
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI–110054.

JAGANATHAN ANANTHA KUMAR

MGIPMRND—133GI(S3)—02-08-2021